

[2010] 11 एस. सी. आर. 1167

ब्रिज लाल और अन्य

बनाम

आय कर आयुक्त, जालंधर

(2004 की सिविल अपील सं. 516-527)

21 अक्टूबर, 2010

[एस. एच. कपाडिया, मुख्य न्यायमूर्ति, बी. सुदर्शन रेड्डी, के. एस. पाणिकर राधाकृष्णन,
सुरिंदर सिंह निज्जर और स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्तिगण]

आय कर अधिनियम, 1961:

अध्याय XIX-ए-धारा 245-सी, 245-डी (1) और 245-डी (4) आर/डब्ल्यू/234-बी-निपटान कमीशन-मामलों का निपटान-अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज-एस 234 बी की प्रयोज्यता। आयोजित: धारा 234-ए, 234-बी और 234-सी अध्याय XIX-ए-धारा 234-बी, 245-0 (2 सी) और धाराओं के तहत निपटान आयोग की कार्यवाही पर लागू होती हैं। 245-डी(6 ए) विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करना-धारा 234-ख तब लागू होती है जब अग्रिम कर के भुगतान में चूक होती है जबकि धारा 245-डी(2 सी) के तहत ब्याज का भुगतान कमीशन के आदेश की धारा 245-डी(4) के तहत करने का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब आयकर की अतिरिक्त राशि का भुगतान निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जाता है।

धारा 234-बी-अध्याय XIX-ए के तहत मामलों के निपटारे में ब्याज लगाने के लिए अंतिम बिंदु-आयोजित: आदेश धारा 245-0 (1) के तहत की तारीख तक होगा और निपटान आदेश की तारीख तक नहीं होगा।

धाराएँ 154, 234-बी, 245-डी (4) और 245-1-गलती का सुधार-ब्याज का शुल्क-निपटान का आदेश 245डी(4) निर्णायक होगा-आयोजित: धारा 245-1 को देखते हुए, निपटान आयोग धारा 154 को लागू करके अपनी समाप्त कार्यवाही को फिर से नहीं खोल सकता है। ताकि ब्याज वसूल किया जा सके 234-8-धारा 154 के तहत अध्याय XIX की कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।

दिनांक 14.12.2004 और 21.1.2005 के निर्देशात्मक आदेशों के अनुसार, तत्काल अपीलों को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ को भेजा गया था। न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न थे: (i) चाहे धारा 234बी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा उक्त अधिनियम के अध्याय XIX-ए के तहत निपटान आयोग की कार्यवाही पर लागू होगी। यदि हाँ; (ii) ऐसा ब्याज लगाने के लिए अंतिम बिंदु क्या होगा-क्या इस तरह के ब्याज की गणना आदेश की तारीख धारा 245-डी (1) के तहत या आयोग के आदेश की तारीख धारा 245-डी (4) के तहत की जानी चाहिए? और (iii) क्या निपटान आयोग धारा 154 को लागू करके अपनी समाप्त कार्यवाही को फिर से खोल सकता है। उक्त अधिनियम का, ताकि धारा 234-बी के तहत ब्याज लगाया जा सके, हालांकि मूल कार्यवाही में ऐसा नहीं किया गया था?

संदर्भ का जवाब देते हुए और अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय

माना कि 1.1 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234-ए, 234-बी और 234-सी अधिनियम के अध्याय XIX-ए के तहत निपटान आयोग की कार्यवाही पर संकेतित सीमा तक लागू होती हैं। फैसले में। (पैरा 16) [1220-डी-ई]

1.2. ब्याज का शुल्क देयता और अग्रिम कर की गणना के लिए आकस्मिक है। अग्रिम कर की देयता और गणना अध्याय XVII की धारा C के तहत की जाती है। दूसरी ओर, के भुगतान अग्रिम कर अध्याय XVII की धारा 234-ए और 234-सी में चूक के लिए

ब्याज के अलावा धारा 234-बी के अंतर्गत आता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 234-ए (4) आयोग के आदेश के बाद ब्याज में वृद्धि या कमी को संदर्भित करता है (4) राशि को बढ़ाना या कम करना देय कर का और इसलिए भी धारा 234-8(4).[पैरा 9] (1207-ए-सी)

1.3. अध्याय XIX-A मामलों के निपटारे से संबंधित है "मामला" शब्द को धारा 245-ए (बी) के तहत परिभाषित किया गया है। यह एक विस्तृत परिभाषा है, जो यह स्पष्ट करती है कि निपटान के लिए आवेदन केवल तभी होगा जब मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई कार्यवाही या ऐसे मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के संबंध में अपील या संशोधन आयकर प्राधिकरण के समक्ष लंबित हो। [पैरा 10] [1207-एच; 1208-ए-बी]

1.4. धारा 245-सी(1) के तहत निपटान के लिए किया गया आवेदन आवेदक द्वारा आय का पूर्ण और रही प्रकटीकरण किए बिना, जिस तरीके से ऐसी घोषित आय प्राप्त की गई थी और आवेदक ने अपनी आय का विवरणी प्रस्तुत किया था और ऐसी आय पर देय अतिरिक्त कर निर्दिष्ट राशि से अधिक है, के बिना बनाए नहीं रखा जा सकेगा। वित्त अधिनियम 2007 से पहले यही स्थिति थी। हालाँकि, धारा 245-सी(1 ए) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि प्रकट की गई आय के संबंध में देय आयकर की अतिरिक्त राशि की गणना धारा 245-सी(1 बी) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। [पैरा 10] [1208-बी-डी]

1.5. धारा 245 सी के तहत उप-धारा(1 बी) के तहत यदि आवेदक ने अपनी कुल आय के संबंध में विवरणी दाखिल किया है और कोई मूल्यांकन नहीं किया गया और आवेदन में बताई गई आय के योग पर की जाएगी, जैसे कि ऐसा योग कुल आय हो। धारा 245-सी (1 बी ii) में नियमित मूल्यांकन शब्द नहीं हैं। हालाँकि धारा 245-सी(1 सी)(बी) के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि धारा 245-अध्याय(1 बी)(ii) के तहत गणना किए गए

अतिरिक्त कर को स्रोत पर काटे गए कर या अग्रिम भुगतान किए गए कर और धारा 140-ए के तहत भुगतान किए गए कर को राशि के योग से घटाया जाएगा। परिणामी राशि करदाता द्वारा देय अतिरिक्त कर है, इस प्रकार, धारा 245-सी अध्याय XVII बी के प्रावधानों को अधिनियम की XVII सी और धारा 140-ए में समाहित करता है।[पैरा 10] [1208-डी-एफ]

1.6. धारा 245-डी(1) और 245-डी(4) के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण दो अलग-अलग चरणों को इंगित करता है-एक ओवदन पर आगे बढ़ने(या उसे अस्वीकार करने) की अनुमति देना, और दूसरा निपटान आयोग द्वारा उचित आदेश पारित करके आवेदन का निपटान किया जाना है। दो चरणों के बीच, ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत आवेदन को अतिरिक्त आयकर और ब्याज का भुगतान करना होता है। धारा 245-डी(4) के तहत धारा 245-डी(2 ए) और (2 सी) के अनुपालन पर और प्रासंगिक अभिलेख और रिपोर्टों की जाँच करने पर, निपटान आयोग ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह आवेदन के दायरे में आनेवाले मामले और आयकर आयुक्त की रिपोर्ट में निर्दिष्ट मामले से संबंधित किसी अन्य मामले पर उचित समझे। धारा 245 डी(7) के तहत भी यह प्रावधान है कि जहाँ धारा 245-डी(6) के तहत संदर्भित मामले से संबंधित किसी अन्य मामले पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो उसे उचित लगे, समझौते में शामिल मामलों के संबंध में कार्यवाही उस चरण से पुनर्जीवित मानी जाएगी, जिस पर निपटान आयोग द्वारा आवेदन पर आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी और आयकर प्राधिकरण उसमें उल्लेखित अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी कर सकता है। इस प्रकार, धारा 245-डी(7) धारा 245 डी(1) चरण और धारा 245 डी(4) के तहत प्रत्येक आदेश में कर, जुर्माना या ब्याज के माध्यम से किसी भी मांग सहित समझौते की शर्तों के लिए प्रावधान किया जाएगा। [पैरा10][1209-सी-एफ]

1.7. धारा 245 एफ(1) के अंतर्गत अध्याय XIX-ए के अंतर्गत निपटान आयोग को प्रदान की गई शक्तियाँ भी होंगी जो अधिनियम के अंतर्गत आयकर प्राधिकरण में निहित हैं। हलांकि, अध्याय XIV के अंतर्गत मूल्यांकन की प्रक्रिया और अध्याय XIX-ए(धारा 245-डी) के अंतर्गत निपटान की प्रक्रिया के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। धारा 245-एफ(4) के अंतर्गत, यह स्पष्ट किया जाता है कि अध्याय XIX-ए में कोई भी बात अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जिसमें निपटान आयोग के समक्ष मामलों के संबंध में आवेदक को स्व-मूल्यांकन के आधार पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिनियम के कई प्रावधान जैसे धारा 140 ए, आवेदक द्वारा आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना जैसा कि अधिनियम की धारा 245-सी (1) के प्रावधान(ए) में बताया गया है धारा 245-सी(1) के प्रावधान(बी) द्वारा दर्शाए अनुसार अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने के लिए देयता और गणना को नियंत्रित करने वाले अधिनियम के प्रावधान धारा 245 सी (1 बी)(iii) द्वारा दर्शाए अनुसार धारा 143, 144 या 147 के अनुसार कुल आय का एकत्री किरण, धारा 245-सी(1 बी)(ii) में दर्शाए अनुसार निपटान के लिए आवेदन में प्रकट की गई आय के साथ-साथ रिटर्न की गई कुल आय का एकत्रीकरण, धारा 245 सी(1 सी) में कटौती, निपटान आयोग के आदेशों के अनुसार धारा 215(3) के तहत ब्याज में वृद्धि और धारा 234 ए(4) और 234-बी(4) के तहत ब्याज का लगाया जाना, सभी अध्याय XIX-ए में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लाते हैं। इस प्रकार धारा 24-सी और 245-डी के प्रावधानों को पढ़ते समय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और स्व-मूल्यांकन, मूल्यांकन, नियमित मूल्यांकन और कुल आय की गणना की अवधारणाओं को ध्यान में रखना होगा जो अध्याय XIX-ए में शामिल किए गए हैं[पैरा 10] [1210-सी एच, 1211-ए-बी]

1.8. यद्यपि अध्याय XIX-ए एक स्व-निहित संहिता है, अघोषित आय की गणना के मामले में निपटान आयोग द्वारा धारा 245-सी और 245-डी के तहत अपनाई जाने वाली

प्रक्रिया के मामले में ऐसी आय पर देय अतिरिक्त आयकर की उस पर ब्याज सहित गणना, आयकर रिटर्न में वापसी की गई आय की राशि और अघोषित आय पर देय अतिरिक्त आयकर की कुल आय के रूप में एकत्रित करते हुए निपटान आवेदन दाखिल करना दर्शाता है कि अध्याय XIX-ए आय के एकत्रीकरण को इंगित करता है ताकि कुल आय का गठन हो जो दर्शाता है कि अध्याय XIX-ए के तहत विशेष प्रक्रिया कुल आय की गणना करने की अंतर्निहित प्रणाली है जो कि मूल्यांकन (कुल आय की गणना) के अलावा और कुछ नहीं है। मूल्यांकन शब्द का उपयोग देयता और प्रवर्तन के लिए मशीनरी का पता लगाने की पूरी प्रक्रिया को शामिल करने के लिए किया जा सकता है।[पैश्रा 8 और 11][1211-सी-ई-1205-एच:1206-ए]

सी.ए. अब्राहम बनाम आयकर अधिकारी, कोर्टयुम और अन्य 1961(2) एस.सी.आर. 765 1961 41 आईटी आर 425(एस सी) और मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोदीनगर और अन्य बनाम आय कर आयुक्त, दिल्ली और अन्य 1995(3) पू.एस.सी.आर. 642=216 आई टी आर 759-संदर्भित।

1.9. अधिनियम के तहत, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कुल आय पर कर देय है। इस प्रकार, धारा 143(3) के प्रावधान को धारा 245-सी में शामिल करने की मांग की गई है। जब संसद मानो ऐसा योग कुल आय का गठन करेगा शब्दों का प्रयोग करती है, तो यह पूर्व धारणा करती है कि विशेष प्रक्रिया के तहत लौटाई गई आय और प्रकट की गई आय के योग से कुल आय की गणना होगी जो अघोषित आय पर कर लगाने का आधार है जो कि कुछ और नहीं बल्कि मूल्यांकन है जो कि 245-डी(1) चरण में होता है। हलांकि, उस गणना में कोई यह पाता है कि नियमित मूल्यांकन, स्व-मूल्यांकन और कर लगाने तथा अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज की गणना आदि से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। धारा 245-सी(1बी) 245-सी(1सी,) 245-डी(6), 245-एफ(3)

के अतिरिक्त धारा 215(3), 234-ए(4)ई और 234-बी(4)[पैरा 11][1211-एफ-एच, 1212-ए-सी]

1.10. दमानी ब्रदर्स के मामले में, 3-न्यायाधीशों वाली पीठ ने अध्याय XIX-ए की योजना का विश्लेषण करते हुए सही माना है कि धारा 324-बी धारा 245-डी(2 सी) और धारा 245-डी(6 ए) अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती है। धारा 234-बी तब लागू होती है जब अग्रिम करके भुगतान में चूक होती है जबकि धारा 245 डी(2 सी) के तहत ब्याज का भुगतान करने की देयता तब उत्पन्न होती है जब आयकर की अतिरिक्त राशि, 245-डी(2 ए) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, और, धारा 245-डी(6 ए) केवल तभी ब्याज का भुगतान करने की देयता लगाती है निपटान आयोग के आदेश के अनुसरण में धारा 245-डी(4) के तहत देय कर निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है।[पैरा 10][1209-एफ-एच, 1210-ए-बी]

सी.आई.टी. बनाम दमानी ब्रदर्स 2002(5) पू. एस.सी.आर. 424=259 आईटी आर अभिनिर्धारित।

2.1. धारा 234-बी के तहत ब्याज लगाने का अंतिम बिंदु धारा 245-डी(1) के तहत आदेश की तिथि तक होगा, न कि धारा 245-डी(4) के तहत निपटान आदेश की तिथि तक[पैरा 16][1220-ई-एफ]

2.2. धारा 245-सी(1), धारा 245-सी(1 बी), 245 सी(1 सी), 245-डी(4) और 245 एफ(3) के प्रावधान में रिटर्न की गई आय, स्व-मूल्यांकन, रिटर्न की गई आय का एकत्रीकरण और आय का प्रकटीकरण जैसे कि यह कुल आय है कि अवधारणाएँ लाई गई हैं, धारा 215(3) के साथ धारा 245-डी(4) के तहत ब्याज लगाया जाएगा, धारा 234-ए(4) और 234-बी(4) के साथ धारा 245-डी(4) के तहत ब्याज में वृद्धि की जाएगी और धारा 140(ए) और (1 बी) के साथ धारा 234-ए और 234 बी को भी पढ़ा जाएगा। [पैरा 12][1212-डी-एफ]

2.3 धारा 245-सी(1) करदाता द्वारा अपनी अघोषित आय का स्वैच्छिक में प्रकटीकरण है। धारा 245-सी(1) के अनुसार करदाता को अपने निपटान आवेदन में ऐसी अघोषित आय पर उसके द्वारा देय कर की अतिरिक्त राशि का उल्लेख करना होगा। प्रावधान(ए) के तहत, निपटान के लिए आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि करदाता ने आय का रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है, जिसे उसे अधिनियम के तहत अपनी आय की सीमा तक दाखिल करना आवश्यक था। प्रावधान(बी) के तहत, कर दाता को देय अतिरिक्त राशि घोषित करनी होगी। इस प्रकार, धारा 245 सी(1) के दो प्रावधान दर्शाते हैं कि अध्याय XIX-ए जो निपटान द्वारा मूल्यांकन के लिए एक विशेष क्रिया निर्धारित करती है, कर के पूर्व मूल्यांकन संग्रह पर विचार करता है। एक निपटान आवेदन दाखिल करने और धारा 245-डी(1) के तहत आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दिए जाने के बाद, धारा 143(1) के तहत सूचना, धारा 143(3)/144 के तहत नियमित मूल्यांकन और धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन अपना अस्तित्व खो देते हैं, क्योंकि धारा 245-सी(1 ए) और (1 बी) के तहत केवल ए.ओ. के समक्ष आयकर रिटर्न प्रकट की गई आय की राशि का निपटान किया जा सके। धारा 245-सी(1 बी)(ii) के तहत, यदि आवेदक ने कुल आय के संबंध में रिटर्न प्रस्तुत किया है, चाहे विवरणी के अनुसरण में मूल्यांकन किया जाता है या नहीं, प्रकट की गई कुल आय और के संबंध में देय आयकर की अतिरिक्त राशि रिटर्न की गई कुल आय और निपटान के लिए उसके आवेदन में प्रकट की गई आय के योग पर होगी जैसे कि ऐसा योग उसकी कुल आय थी। यह कर का पूर्व-मूल्यांकन संग्रह है। ऐसा पूर्व-मूल्यांकन आवेदन द्वारा स्वयं वर्तमान आय और उस पर कर के आकलन पर आधारित है।[पैरा 12][1213-सी-एच,241-ए-बी]

2.4. जब निपटान आयोग निपटान के लिए आवेदन द्वारा स्वैच्छिक प्रकटीकरण को स्वीकार करता है तो धारा 234-बी लागू होता है। यह महत्वपूर्ण है कि करदाता अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह घोषित आय की सीमा तक भुगतान में चूक

करता है लेकिन वह अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने की पेशकश करता है तो ब्याज की गणना धारा 207, 208 और 234-बी(2) के अनुसार उस तारीख तक की जानी चाहिए जिस दिन ऐसा कर चुकाया गया है। यह वह ब्याज नहीं है जो करदाता को धारा 245-डी(4) के तहत आकलन के बाद देना होता है। धारा 245-सी(1 बी) और (1 सी) के तहत अघोषित आय पर देय आयकर की अतिरिक्त राशि धारा 245 सी(1 बी) और (1 सी) के तहत कुल आय की गणना करने पर ब्याज ऐसी गणना के बाद आता है। एक बार जब ऐसी गणना धारा 245-सी(1 बी) के तहत हो जाती है तो धारा 234-बी(2) लागू होती है। उक्त उपधारा उस स्थिति से संबंधित है जहाँ धारा 143(1) या 143(3) के तहत कुल आय के निर्धारण से पहले धारा 140 ए के तहत कर का भुगतान किया जाता है या अन्यथा कर का भुगतान किए जाने की तारीख तक ब्याज की गणना धारा 234-बी(1) के अनुसार की जाएगी। इस अर्थ में धारा 245 सी(1) कुल आय की गणना से संबंधित है। इस प्रकार, धारा 234 ए, 234-बी, 234-बी और 234-सी निपटान आयोग द्वारा पारित धारा 245 डी(1) आदेश के चरण, यानी मामले के स्वीकार होने तक लागू हैं। [पैरा 12 और 14][1214-बी-एफ, 1215-एफ, 1217-एफ-जी]

2.5. इसके अलावा, अध्याय XIX-ए निपटान की प्रक्रिया को संदर्भित करता है (धारा 245-डी(1)) पूर्व-मूल्यांकन संग्रह के माध्यम से कर की शीघ्र वसूली प्रदान करती है। अग्रिम कर के भुगतान में चूक पर ब्याज धारा 234-ए, 234-बी, 234-सी के अंतर्गत आता है, जो अध्याय XVII में आता है जो कर के संग्रह और वसूली से संबंधित है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्याज धारा 245-सी(1 बी) और (1 सी) के अंतर्गत आयकर के अतिरिक्त भुगतान की गणना के बाद आता है। इस प्रकार धारा 234-ए, 234-बी और 234-सी धारा 245-डी(1) के चरण में अध्याय XIX-ए में शामिल हो जाते हैं। जब तक कि निपटान आयोग धारा 245-डी(1) के तहत मामले को स्वीकार कर लेता है और संतुष्ट हो जाता है कि प्रकटीकरण पूर्ण और सत्य है, तो निपटान आयोग के साथ कार्यवाही शुरू होती है। इस

बीच, आवेदक को ब्याज के साथ कर की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा जिसके बिना निपटान के लिए आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रकार, धारा 234-बी के तहत ब्याज धारा 245-डी(1) के चरण तक देय होगा। यह दृष्टिकोण वित्त अधिनियम 2007 द्वारा 1.6.2007 से किए गए संशोधन द्वारा समर्थित है, जिसमें निपटान के लिए ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है।[पैरा 12][1214-एफ-एच, 1215-ए-सी]

2.6. संसद ने निपटान के लिए आवेदन की तिथि से परे प्रावधानों और ब्याज का भुगतान करने की देयता को आगे नहीं बढ़ाया है। यह स्थिति वित्त अधिनियम 2007 के बाद भी है। एक बार यह स्थिति ले लेने पर, धारा 140-ए लागू होती है। जब एक करदाता ने धारा 140-ए के तहत स्व-मूल्यांकन में धारा 234-ए, 234-बी और 234-सी के तहत ब्याज का भुगतान किया है, जो कि धारा 245-सी(1) की योजना के समान है, और एक बार निपटान के लिए आवेदन स्वीकार कर लेता है, तो हम पाते हैं, कि धारा 140-ए(1 बी) के तहत भी धारा 234-बी के तहत देय ब्याज की गणना रिटर्न में घोषित कुला आय पर करके लिए स्पष्टीकरण में परिभाषित किए गए निर्धारित कर के बराबर राशि पर की जानी चाहिए। धारा 140-ए की उप-धारा(1 बी) के तहत धारा 234-बी के अंतर्गत देय ब्याज की गणना उस राशि पर भी की जा सकती है, जिससे भुगतान किया गया अग्रिम कर, स्पष्टीकरण में परिभाषित निर्धारित कर से कम हो जाता है। इस प्रकार, अध्याय XIX-ए या धारा 140 ए (स्व मूल्यांकन से निपटाने) के तहत निपटान के लिए आवेदन की तिथि से परे ब्याज वसूलने का कोई प्रावधान नहीं है, जब आयोग द्वारा धारा 245 डी(1) के तहत इसे स्वीकार कर लिया जाता है।[पैरा 14][1215-एफ-एच, 1216-ए-सी]

2.7. इसके अलावा, अधिनियम के तहत, कानून में मूल्यांकन [नियमित मूल्यांकन या धारा 143(1) के तहत मूल्यांकन] और अध्याय XIX-ए के तहत निपटान द्वारा मूल्यांकन के बीच अंतर है। धारा 245-डी(4) के तहत आदेश नियमित मूल्यांकन का आदेश

नहीं है। यह न तो धारा 143(1) या 143(3) या 144 के तहत आदेश है। मूल्यांकन का आदेश बनाना ही मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक विभिन्न अंग है। [धारा 133 से 158] अध्याय XIX-ए के तहत कार्यवाही के मामले में ऐसे किसी भी कदम के पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अध्याय केवल निपटान/मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा अघोषित आय के संबंध में निर्धारित कर योग्यता पर विचार करता है। इस प्रकार धारा 143(1), 143(3) और 144 के तहत आदेशों की प्रकृति निपटान आयोग 245-डी(4) के आदेशों से भिन्न है। [पैरा-14][1216-सी-डी]

2.8. इसके अलावा, ए.ओ. का अधिकार क्षेत्र केवल इसलिए बाधित नहीं होता है क्योंकि आवेदक ने निपटान आवेदन दायर किया है। अधिनियम में उस अवधि के दौरान कार्यवाही पर रोक लगाने का प्रावधान नहीं है, अर्थात्, जब निपटान आयोग यह तय कर रहा हो कि निपटान आवेदन को आगे बढ़ाना है या अस्वीकार करना है। निपटान आयोग का कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र धारा 245डी(1) के तहत आदेश पारित होने के बाद ही आरंभ होता है। निपटान के लिए आवेदन करने के बाद आवेदक को इसे वापस लेने की अनुमति नहीं है [धारा 245सी(3)] एक बार मामला स्वीकार होजाने के बाद निपटान आयोग के पास प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने का विशेष अधिकार होगा। धारा 245 डी(1) के तहत निपटान आयोग के आदेश तक, यानी मामले के स्वीकार होने तक, देय होगा। [पैरा 141][1217-ए-जी]

आयकर आयुक्त बनाम अंजुम एम.एच धासवाला और अन्य 2001(4) अनुपूरक एस सी आर 303=252 आई.टी.आर 1-संदर्भित]

2.9. अंत में धारा 245-(6 ए) में अभिव्यक्ति ब्याज ब्याज का भुगतान करने की देयता को केवल तभी निर्धारित करती है जब धारा 245-डी(4) के तहत आदेश के अनुसरण में देय कर निर्दष्ट समय के भतर भुगतान नहीं किया जाता है और यह लेवी धारा 234-बी

या धारा 245-डी(2 सी) के तहत ब्याज का भुगतान करने की देयता से अलग है।[पैरा 14]
[1217-एफ-जी]

सी.आई.टी. बनाम दमानी ब्रदर्स 2002(5) अनुपूरक, एस सी आर 424=259 आई टी
आर 475 संदर्भित।

3.1. निपटान आयोग अधिनियम की धारा 154 का आह्वान करके अपनी समाप्त कार्यवाही को फिर से नहीं खोल सकता है ताकि धारा 234-बी के तहत ब्याज लगाया जा सके, विशेष रूप से, धारा 245 के दृष्टिकोण से। धारा 154 का आह्वान (अध्याय XIX-ए कार्यवाही के लिए अनुपयुक्त माना जाता है) उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वर्णात्मक रूप से, यह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन कानून निपटान के माध्यम से मूल्यांकन से अलग है। धारा 245-डी(6) को धारा 245-1 के साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होजाता है कि धारा 245-डी(4) के तहत पारित प्रत्येक निपटान आदेश उसमें निहित मामलों के संबंध में अंतिम और निर्णायक होगा और धोखाधड़ी और गलत बयानी के मामले को छोड़कर इसे फिर से नहीं खोला जाएगा। [पैरा 10, 15 और 16][1219-डी, 1220-एफ, 1210-बी-सी]

3.2. निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही के समान है। यह निपटान द्वारा मूल्यांकन पर विचार करता है न कि नियमित मूल्यांकन या अधिनियम की धारा 143(1) या धारा 143(3) या धारा 144 के तहत मूल्यांकन के माध्यम से। इस अर्थ में यह अपने आप में एक संहिता है। यह रिटर्न दाखिल करने से शुरू नहीं होता है। अधिनियम के तहत, मूल्यांकन की प्रक्रिया अध्याय XIV (जिसमें धारा 154 आता है) में आती है जो अध्याय XIX-ए में निपटान की प्रक्रिया से अलग है जिसमें धारा 245-सी और 245-डी आती है। धारा 234-बी के तहत अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान अध्याय XVII [धारा एफ] में आता है जो धारा 207 ई [जो अध्याय XVII में भी है] के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने की देयता से संबंधित कर के संग्रह

और वसूली और अघोषित आय पर देय अतिरिक्त आय पर धारा 245-सी(1 बी) और 245-सी(1 सी) के प्रावधानों के साथ अध्याय XIX ए के तहत बताए गए तरीके से कुल आय की गणना से संबंधित है। इसके आलावा, यदि कोई धारा 245-सी(बी) और 245-सी(1 सी) के प्रावधानों की जाँच करता है, तो पाता है कि देय कर की अतिरिक्त राशि की गणना करते समय विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे यदि आवेदक ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, यदि उसने दाखिल किया है, लेकिन मूल्यांकन के आदेश पारित नहीं हुए हैं या यदि उसने दाखिल किया है, लेकिन मूल्यांकन के आदेश पारित नहीं हुए हैं या यदि धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्यवाही लंबित हैं (फिर से XIV में) या ऐसे पुनर्मूल्यांकन के संबंध में अपील या संशोधन के माध्यम से और आवेदक जिस मामले में उसने अपनी कुल आय का रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है, कर की गणना कुल आय के योग पर की जान चाहिए जैसा कि मूल्यांकन के लिए पहले की कार्यवाही का धारा 143 या धारा 144 या धारा 147 या धारा 147[धारा 245-सी(1 बी)] के अंतर्गत मूल्यांकन किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि करदाता द्वारा देय अतिरिक्त आयकर की गणना में धारा 154 को कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत, धारा 245-1 के अंतर्गत निपटान आयोग का आदेश निपटाने के लिए आवेदन में उल्लेखित मामलों पर अंतिम और निर्णायक माना जाता है, सिवाय धोखाधड़ी और गलत बयानी के दो मामलों के, जिनमें मामले की समीक्षा या वापस लेने के माध्यम से फिर से खोला जा सकता है। [पैरा 15][1218-बी-एच, 1219-ए-बी]

3.3. आई टी एटी की तरह, निपटान आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, धारा 254(2) के अनुसार आई टी एटी को सुधार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन निपटान आयोग को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। इस प्रकार निपटान आयोग अधिनियम की धारा 154 का आह्वान करके अपनी समाप्त कार्यवाही को फिर से नहीं खोल सकता है। [पैरा 15][1219-बी-सी]

3.4. अंत में किसी को आदेश की समीक्षा/वापस लेने और धारा 154 के तहत सुधार के बीच के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। अध्याय XIX-ए की अनुसूची धारा 154 के आह्वान पर विचार नहीं करती है अन्यथा निपटान द्वारा मूल्यांकन के लिए कोई अंतिमता नहीं होगी जो अध्याय XIV के तहत मूल्यांकन से अलग है जहाँ अपील, संशोधन आदि है। अन्यथा भी, मामलों के इस समूह के तथ्यों पर धारा 154 का आह्वान उचित नहीं है। [पैरा 15][1219-सी-ई]

आयकर आयुक्त बनाम अंजुम एम.एच. घासवाला और अन्य 2001(4) अनुपूरक एस सी आर 303=252 आई टी आर 1, और सी/टी बनाम हिंदुस्तान बलक कैरियर 2002(5) अनुपूरक, एस सी आर 387=(2003)259 आई टी आर 449-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ:

1953(3) अनुपूरक एस सी आर 342	संदर्भित	पैरा-7
1961(2) एस सी आर 765	संदर्भित	पैरा-7
2002(5) अनुपूरक एस सी आर 387	संदर्भित	पैरा-7
2002(5) अनुपूरक एस सी आर 424	संदर्भित	पैरा-14

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं.516-527/2004

आयकर निपटान आयोग (आई टी और डब्ल्यूटी) कोलकाता के दिनांक 07.03.2003 के निर्णय और आदेश से निपटान आवेदन सं. 1/जे/287/89-आईटी, 1/जे/2095/89-आई टी, 1/जे/294/89-आई टी, 1/जे/299/89-आई टी, 1/जे/296/89-आई टी, 1/जे/298/89-आई टी, 1/जे/302/90-आई टी, 1/जे/307/90-आई टी, 1/जे/305/90-आई टी, 1/जे/304/90-आई टी, 1/जे/301/90-आई. टी.

साथ में

सी.ए. 2005 की सं. 280-286, 2004 की 8324-8328, 2005 की 603, 990, 925, 924, रिट याचिका(सी ओ 2004 की सं556,555) सी.ए. सं. 2005 की 2247-2250, 923, 995, 994, रिट याचिका 2005 की 63,61,62,60, सी.ए. सं.2005 की 2246, 3231-3232-2004 की 3091, 3087, 3092, 4599, 4601, 528-531, रिट याचिका(सी) 2004 की सं. 325, 324, 326, सी.ए.संख्या 2007 की 992, 2010 की 9174, 2004 की धारा 532, 2005 की 604

गोपाल सुब्रमण्यम, एस.जी., सी.एस.अग्रवाल, पारुस एफ, काका, आर.पी.भट, ओ.एस. बाजपेयी, राजीव के. गर्ग, विवेक वर्मा, आशीष गर्ग, विनित गर्ग, ए.डी.एम.राओ, प्रीतेश कपूर, जी.एस.पिकाले, इ.सी.अगरवाल, महेश अगरवाल, रिषि अगरवाला, अमित कुमार शर्मा, रोहमा गोपाल सुब्रमण्यम, एस. जी., सी. एस. अग्रवाल, पारस एफ. काका, आर. पी. भट, ओ. एस. बाजपेयी, राजीव के. गर्ग, विवेक वर्मा, आशीष गर्ग, विनीत गर्ग, ए. डी. एन. राव, प्रीतेश कपूर, जी. एस. पिकले, ई. सी. अग्रवाल, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अमित कुमार शर्मा, रोहमा हमीद, राजीव त्यागी, विजय वर्मा, चंचल बिस्वाल, आशा गोपालन नायर, बालाजी सुब्रमण्यम, अमन अहलूवालिया, बी. वी. बलराम दास, सुब्रमण्यम प्रसाद अजय मजीठिया, मनीष कांत, राजेश कुमार, डॉ. कैलाश चंद, पराग एम. श्रॉफ, दत्तात्रेय व्यास, अजय वोहरा, कविता झा, अमित सचदेवा, प्रेम मल्होत्रा, रचना गुप्ता, सी. एस. जैन, वाई. राजा गोपाल राव, कृष्णा, वी. एन. झा, वी. एन. रघुपति, अजय जैन, राजीव त्यागी, आर. के. राघवन, चंचल बिस्वाल, मंजीत सिंह, कमल मोहन गुप्ता, संतोष अग्रवाल, भार्गव वी. देसाई, राहुल गुप्ता, निखिल शर्मा, विवेक वर्मा, पल्लवी मोहन, पंकज जैन, अभय जैन, राकेश जैन, मनीष कुमार। उपस्थित दलों में चौधरी नमिता चौधरी, एस. के. वर्मा, मोहित चौधरी, अशोक कुलकर्णी, पूजा शर्मा, ए. दास, ऋतुराज चौधरी शामिल थे।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

एस. एच. कापड़िया, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. 14.12.2004 और 20.1.2005 दिनांकित निर्देश आदेशों को देखें निम्नलिखित प्रश्नों को इस न्यायालय की संविधान पीठ को भेजा गया है:

(i) क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234ए, 234बी और 234सी (संक्षेप में "अधिनियम") अधिनियम के अध्याय XIX-ए के तहत निपटान आयोग की कार्यवाही पर बिल्कुल भी लागू होती हैं?

(ii) क्या निपटान आयोग अधिनियम की धारा 154 का सहारा लेकर अपनी समाप्त कार्यवाही को फिर से खोल सकता है ताकि अधिनियम की धारा 234ए, 234बी और 234सी के तहत ब्याज लगाया जा सके, हालांकि यह मूल कार्यवाही में ऐसा नहीं किया गया था?

(iii) क्या निपटान का आदेश देने के लिए निर्धारित सीमा अवधि के अभाव में, ब्याज की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि उक्त आदेश की तिथि हो सकती है?

3. सुविधा के लिए, सीखने के बाद दोनों पक्षों के वकील को सुनने के बाद, हम उपरोक्त प्रश्नों को फिर से तैयार करते हैं:

(i) क्या धारा 234बी उक्त अधिनियम के अध्याय XIX-ए के तहत निपटान आयोग की कार्यवाही पर लागू होती है?

(ii) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो ऐसा ब्याज लगाने का अंतिम बिंदु क्या है-क्या इस तरह के ब्याज की गणना धारा 245डी (1) के तहत आदेश की तारीख तक या धारा 245डी (4) के तहत आयोग के आदेश की तारीख तक की जानी चाहिए?

(III) क्या समझौता आयोग उक्त अधिनियम की धारा 154 को लागू करके अपनी समाप्त कार्यवाही को फिर से खोल सकता है ताकि धारा 234 बी के तहत ब्याज लगाया जा सके, हालांकि यह मूल कार्यवाही में ऐसा नहीं किया गया था?

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधान:

4. ऊपर उद्धृत पुनर्व्यवस्थित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, हमारे लिए अधिनियम और आयकर नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देना आवश्यक होगा, क्योंकि वे भौतिक समय पर थे, जो निम्नानुसार हैं:

परिभाषाएँ

2(40) "नियमित मूल्यांकन का अर्थ है की धारा 143 या धारा 144; उप-धारा (3) के तहत किया गया निर्धारण;

2(45) "कुल आय" का अर्थ है धारा 5 में निर्दिष्ट आय की कुल राशि आय की राशि, जिसकी गणना इस अधिनियम में निर्धारित तरीके से की गई है;

अध्याय XIV-मूल्यांकन स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया

140 ए. (1) जहां इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत पहले से ही भुगतान की गई कर की राशि, यदि कोई हो, को ध्यान में रखने के बाद, धारा 139 या धारा 142 या यथास्थिति,

धारा 148 के तहत प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक किसी विवरणी के आधार पर कोई कर देय है, तो निर्धारिती विवरणी प्रस्तुत करने में किसी भी देरी या अग्रिम कर के भुगतान में किसी भी चूक या देरी के लिए इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत देय ब्याज के साथ ऐसे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और विवरणी के साथ ऐसे कर और ब्याज के भुगतान का प्रमाण भी होगा।

स्पष्टीकरण— जहां इस उप-धारा के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि उपरोक्त कर और ब्याज के कुल से कम हो जाती है, तो इस तरह से भुगतान की गई राशि को पहले उपरोक्त देय ब्याज के साथ समायोजित किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे देय कर के साथ समायोजित किया जाएगा।

(2) धारा 143 या धारा 144 के तहत नियमित मूल्यांकन किए जाने के बाद, उप-धारा (1) के तहत भुगतान की गई किसी भी राशि को ऐसे नियमित मूल्यांकन के लिए भुगतान किया गया माना जाएगा।

मूल्यांकन

143. (1)(ए) जहाँ वापसी की गई है। धारा 139 के तहत या धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत किसी नोटिस के जवाब में -

(i) यदि स्रोत पर काटे गए किसी कर के समायोजन के बाद, ऐसे विवरणी के आधार पर कोई कर या ब्याज देय पाया जाता है, तो भुगतान किया गया कोई अग्रिम कर और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा भुगतान की गई कोई राशि, तो, उप-धारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारिती को इस प्रकार देय राशि निर्दिष्ट करते हुए एक सूचना भेजी जाएगी, और ऐसी सूचना को धारा 156 के तहत जारी की गई मांग की सूचना माना जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

बशर्ते कि इस खंड के तहत देय किसी भी कर या ब्याज के लिए सूचना उस निर्धारण वर्ष के अंत से दो साल की समाप्ति के बाद नहीं भेजी जाएगी जिसमें आय पहले आकलन योग्य थी।

(बी) जहां इस धारा की उप-धारा (3) या धारा 144 या धारा 147 या धारा 154 या धारा 155 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के तहत किए गए किसी आदेश के परिणामस्वरूप या धारा 245 डी की उप-धारा (4) के तहत किसी पूर्व निर्धारण वर्ष के संबंध में किए गए किसी समझौते के आदेश के परिणामस्वरूप और खंड (ए) में निर्दिष्ट विवरणी दाखिल करने के बाद पारित किया गया हो, वहां विवरणी में दावा किए गए आगे ले जाने वाले नुकसान, कटौती, भत्ता या राहत में कोई भिन्नता है, और जिसके परिणामस्वरूप, -

(i) यदि कोई कर या ब्याज देय पाया जाता है, तो निर्धारिती को इस प्रकार देय राशि निर्दिष्ट करते हुए एक सूचना भेजी जाएगी, और ऐसी सूचना को एक सूचना माना जाएगा: धारा 156 के तहत जारी की गई मांग और इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे, और

(ii) यदि कोई धनवापसी देय है, तो यह निर्धारिती को दी जाएगी:

बशर्ते कि इस खंड के तहत देय किसी भी कर या ब्याज के लिए सूचना उस वित्तीय वर्ष के अंत से चार साल की समाप्ति के बाद नहीं भेजी जाएगी जिसमें ऐसा कोई आदेश पारित किया गया था।

(4) जहां इस धारा की उप-धारा (3) या धारा 144 के तहत नियमित मूल्यांकन किया जाता है, -

(क) उप-धारा (1) के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए किसी भी कर या ब्याज का भुगतान इस तरह के नियमित निर्धारण के लिए किया गया माना जाएगा;

गलती का सुधार।

154. (1) अभिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से धारा 116 में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी -

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश में संशोधन कर सकता है,

(ख) धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत उसके द्वारा भेजी गई किसी भी सूचना में संशोधन करना या उस उप-धारा के तहत उसके द्वारा दी गई धनवापसी की राशि को बढ़ाना या कम करना।

(1(क) जहां किसी मामले पर उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश से संबंधित अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से किसी कार्यवाही में विचार किया गया है और निर्णय लिया गया है, वहां ऐसा आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी, उस समय लागू किसी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, मामले के अलावा किसी अन्य मामले के संबंध में उस उप-धारा के तहत आदेश में संशोधन कर सकता है जिस पर विचार किया गया है और निर्णय लिया गया है।

(2) इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, संबंधित प्राधिकारी -

(क) अपने स्वयं के प्रस्ताव की उप-धारा (1) के तहत संशोधन कर सकता है, और
(ख) किसी ऐसी गलती को सुधारने के लिए ऐसा संशोधन करेगा जो निर्धारिती द्वारा उसके संज्ञान में लाई गई है, और जहां संबंधित प्राधिकारी उपायुक्त (अपील) है, या निर्धारण अधिकारी द्वारा भी आयुक्त (अपील) है।

(3) एक संशोधन, जिसका प्रभाव किसी निर्धारण को बढ़ाने या धनवापसी को कम करने या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने का होता है, इस धारा के तहत तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित प्राधिकारी ने निर्धारिती को ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना नहीं दी है और निर्धारिती को सुनवाई का एक उचित अवसर प्रदान किया है।

अध्याय XVII-कर संग्रह और वसूली

अग्रिम कर के भुगतान के लिए देयता।

207. कर किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान, धारा 208 से 219 (दोनों सहित) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारिती की कुल आय के संबंध में अग्रिम रूप से देय होगा, जो वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद के निर्धारण वर्ष के लिए कर से प्रभार्य होगी, ऐसी आय जिसे इस अध्याय में इसके बाद "वर्तमान आय" के रूप में संदर्भित किया गया है।

अग्रिम कर की गणना।

209. (1) वित्तीय वर्ष में निर्धारिती द्वारा देय अग्रिम कर की राशि, उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों की गणना निम्नानुसार की जाए, अर्थात्:

(क) जहां निर्धारिती द्वारा धारा 210 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत अग्रिम कर के भुगतान के प्रयोजनों के लिए गणना की जाती है, वह पहले अपनी वर्तमान आय का अनुमान लगाएगा और उस पर आय-कर की गणना वित्तीय वर्ष में लागू दरों पर की जाएगी।

निर्धारिती द्वारा अपनी मर्जी से या निर्धारण अधिकारी के आदेश के अनुसरण में अग्रिम कर का भुगतान।

210. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है (चाहे उसका पूर्व में नियमित निर्धारण के माध्यम से आकलन किया गया हो या नहीं), अपनी मर्जी से, धारा 211 में निर्दिष्ट प्रत्येक नियत तारीख को या उससे पहले, अपनी वर्तमान आय पर अग्रिम कर के उचित प्रतिशत का भुगतान करेगा, जिसकी गणना धारा 209 में निर्धारित तरीके से की गई है।

(2) एक व्यक्ति जो उप-धारा (1) के तहत अग्रिम कर की किसी भी किस्त या किस्तों का भुगतान करता है, वह अपनी वर्तमान आय और उस पर देय अग्रिम कर के अपने अनुमान के अनुसार शेष किस्त या किस्तों में देय अग्रिम कर की राशि को बढ़ा या घटा सकता है और तदनुसार शेष किस्त या किस्तों में उक्त राशि का भुगतान कर सकता है।

निर्धारिती द्वारा देय ब्याज।

215. (1) जहाँ किसी वितीय वर्ष में किसी निर्धारिती ने धारा 209 ए या धारा 212 के तहत अग्रिम कर का भुगतान किया हो। अपने स्वयं के अनुमान (संशोधित अनुमान सहित) के आधार पर, और इस प्रकार भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के पचहत्तर प्रतिशत से कम है, उक्त वितीय वर्ष के अगले 1 अप्रैल से नियमित निर्धारण की तारीख तक पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज निर्धारिती द्वारा उस राशि पर देय होगा जिसके द्वारा इस प्रकार भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर से कम हो जाता है:

बशर्ते कि किसी निर्धारिती के मामले में, एक कंपनी होने के नाते, इस उप-धारा के प्रावधान इस तरह प्रभावी होंगे जैसे कि "पचहत्तर प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तेरासी और एक तिहाई प्रतिशत" शब्द रखे गए हों।

(2) जहां किसी नियमित निर्धारण के पूरा होने की तारीख से पहले, निर्धारिती द्वारा धारा 140 ए के तहत या अन्यथा कर का भुगतान किया जाता है, -(i) ब्याज की गणना पूर्वगामी

प्रावधान के अनुसार उस तारीख तक की जाएगी जिस दिन कर का भुगतान किया जाता है; और

(ii) इसके बाद, ब्याज की गणना उस राशि पर की जाएगी जिसके द्वारा इस प्रकार भुगतान किया गया कर (जहां तक यह अग्रिम कर के अधीन आय से संबंधित है) निर्धारित कर से कम हो जाता है।

(3) जहां धारा 147 या धारा 154 या धारा 155 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के तहत किसी आदेश के परिणामस्वरूप या धारा 245 डी की उप-धारा (4) के तहत निपटान आयोग के किसी आदेश के परिणामस्वरूप, जिस राशि पर उप-धारा (1) के तहत ब्याज देय था, उसे बढ़ाया या घटाया गया है, जैसा भी मामला हो, ब्याज को तदनुसार बढ़ाया या कम किया जाएगा, और -

(i) ऐसे मामले में जहां ब्याज बढ़ाया जाता है, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती पर देय राशि को निर्दिष्ट करते हुए निर्धारित प्रपत्र में मांग की सूचना, और धारा 156 के तहत एक नोटिस माना जाएगा और इस अधिनियम के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

(ii) ऐसे मामले में जहां ब्याज कम किया जाता है, भुगतान किया गया अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, वापस कर दिया जाएगा।]

(4) ऐसे मामलों में और ऐसी परिस्थितियों में जो निर्धारित की जाएं, निर्धारण अधिकारी इस धारा के तहत निर्धारिती द्वारा देय ब्याज को कम या माफ कर सकता है।

(5) इस धारा और धारा 217 और 273 में "निर्धारित कर" से नियमित निर्धारण के आधार पर निर्धारित कर अभिप्रेत है (धारा 192 से 194, धारा 194 ए, धारा 194 सी, धारा 194 डी, धारा 195 और धारा 196 ए के प्रावधानों के अनुसार कटौती योग्य कर की राशि से घटाया गया) जहां तक ऐसा कर अग्रिम कर के अधीन आय से संबंधित है और जहां तक यह

उस वर्ष के लिए अधिनियमित वित्त अधिनियम द्वारा की गई कर की दरों में भिन्नताओं के कारण नहीं है जिसके लिए नियमित निर्धारण किया जाता है।

(6) जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, धारा 147 के तहत पहली बार निर्धारण किया जाता है, इस प्रकार किए गए निर्धारण को इस धारा और धारा 216, 217 और 273 के प्रयोजनों के लिए एक नियमित निर्धारण माना जाएगा।

आय की वापसी प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज।

234 ए. (1) जहाँ आय की वापसी धारा 139 की उप-धारा (1) या उप-धारा (4) के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष में, या धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत किसी सूचना के जवाब में, नियत तारीख के बाद प्रस्तुत किया जाता है, या प्रस्तुत नहीं किया जाता है, निर्धारिती प्रत्येक महीने या उस तारीख से शुरू होने वाली अवधि में शामिल महीने के हिस्से के लिए दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। नियत तारीख के तुरंत बाद, और-

(ए) जहां नियत तारीख के बाद विवरणी प्रस्तुत की जाती है, जो विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को समाप्त होती है; या

(ख) जहां धारा 144 के तहत मूल्यांकन पूरा होने की तारीख को समाप्त होने पर कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है,

धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित कुल आय पर कर की राशि पर या नियमित निर्धारण पर जो अग्रिम कर, यदि कोई हो, द्वारा कम किया जाता है और स्रोत पर काटे गए या एकत्र किए गए किसी भी कर पर;

स्पष्टीकरण 1.— इस धारा में, "नियत तिथि" का अर्थ धारा 139 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट तिथि है जो निर्धारिती के मामले में लागू होती है।

स्पष्टीकरण 2.— इस उप-धारा में, "धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित कुल आय पर कर" में निम्नलिखित धारा 143 के तहत देय अतिरिक्त आयकर, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 3.— जहाँ, किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, धारा 147 के तहत पहली बार निर्धारण किया जाता है, वहाँ इस प्रकार किए गए निर्धारण को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक नियमित मूल्यांकन माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 4.— इस उप-धारा में, "धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत या नियमित निर्धारण पर निर्धारित कुल आय पर कर", धारा 140ए के तहत देय ब्याज की गणना करने के उद्देश्यों के लिए, विवरणी में घोषित कुल आय पर कर माना जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत देय ब्याज को भुगतान किए गए ब्याज, यदि कोई हो, से कम किया जाएगा। यदि इस धारा के तहत प्रभार्य ब्याज के लिए धारा 140ए के तहत कोई भुगतान किया गया है।

(4) जहाँ धारा 154 या धारा 155 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 या धारा 245डी की उप-धारा (4) के तहत किसी आदेश के परिणामस्वरूप निपटान आयोग के किसी आदेश के तहत, उस कर की राशि को, जिस पर इस धारा की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत ब्याज देय था, बढ़ाया या घटाया गया है, तदनुसार ब्याज बढ़ाया या घटाया जाएगा, और -

(i) ऐसे मामले में जहां ब्याज बढ़ाया जाता है, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को देय राशि निर्दिष्ट करते हुए निर्धारित प्रपत्र में मांग की सूचना देगा और ऐसी मांग की सूचना को धारा 156 के तहत सूचना माना जाएगा और इस अधिनियम के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

(ii) ऐसे मामले में जहां ब्याज कम किया जाता है, भुगतान किया गया अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, वापस कर दिया जाएगा।

(5) इस धारा के प्रावधान 1 अप्रैल, 1989 से शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष और उसके बाद के निर्धारण वर्षों के निर्धारण के संबंध में लागू होंगे।

अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज।

234 बी. (1) इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां किसी वित्तीय वर्ष में, धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई निर्धारिती ऐसा कर का भुगतान करने में विफल रहा है या जहां धारा 210 के प्रावधानों के तहत ऐसे निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के नब्बे प्रतिशत से कम है, तो निर्धारिती प्रत्येक महीने के लिए दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा या ऐसे वित्तीय वर्ष के बाद 1 अप्रैल से धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत कुल आय के निर्धारण की तारीख तक की अवधि में शामिल महीने का हिस्सा और जहां नियमित निर्धारण किया जाता है, वहां नियमित निर्धारण की तारीख तक, निर्धारित कर के बराबर राशि पर या, जैसा भी मामला हो, उस राशि पर जिसके द्वारा उपरोक्त रूप से भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर से कम हो जाता है।

स्पष्टीकरण 1.—इस धारा में "निर्धारित कर" का अर्थ है -

(ए) धारा 140 ए के अधीन देय ब्याज की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए उस धारा में निर्दिष्ट विवरणी में घोषित कुल आय पर कर;

(बी) किसी अन्य मामले में, धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत या नियमित निर्धारण पर निर्धारित कुल आय पर कर, जैसा कि अध्याय XVII के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर

कटौती या एकत्र की गई कर की राशि से घटाया गया है, किसी भी आय पर जो ऐसी कटौती या संग्रह के अधीन है और जिसे ऐसी कुल आय की गणना में ध्यान में रखा जाता है।

स्पष्टीकरण 2.— जहाँ, किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, धारा 147 के तहत पहली बार निर्धारण किया जाता है, वहाँ इस प्रकार किए गए निर्धारण को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक नियमित मूल्यांकन माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 3.— स्पष्टीकरण 1 और उप-धारा (3) में "धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित कुल आय पर कर" में धारा 143 के तहत देय अतिरिक्त आय-कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा।

(2) जहां धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत कुल आय के निर्धारण या नियमित निर्धारण के पूरा होने की तारीख से पहले निर्धारिती द्वारा धारा 140ए के तहत कर का भुगतान किया जाता है या अन्यथा,

(i) ब्याज की गणना इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार उस तारीख तक की जाएगी जिस दिन कर का भुगतान किया जाता है, और इस धारा के तहत प्रभार्य ब्याज के लिए धारा 140ए के तहत भुगतान किए गए ब्याज, यदि कोई हो, से कम किया जाएगा;

(ii) इसके बाद, ब्याज की गणना उस राशि पर की जाएगी जिसके द्वारा इस प्रकार भुगतान किया गया कर और भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर से कम है।

(3) जहां, धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन या पुनः संगणना के आदेश के परिणामस्वरूप, वह राशि जिस पर उप-धारा (1) के तहत ब्याज देय था, बढ़ाई जाती है, वहां निर्धारिती धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत कुल आय के निर्धारण की तारीख के अगले दिन से शुरू होने वाली अवधि में शामिल प्रत्येक महीने या महीने के एक हिस्से के लिए दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और जहां नियमित मूल्यांकन

किया जाता है जैसा कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे नियमित मूल्यांकन की तारीख के बाद और पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना की तारीख को समाप्त होने पर किया जाता है। धारा 147 के अधीन वह राशि, जिसके द्वारा पुनर्मूल्यांकन या पुनः संगणना के आधार पर निर्धारित कुल आय पर कर धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत या उपरोक्त नियमित निर्धारण के आधार पर निर्धारित कुल आय पर कर से अधिक है।

(4) जहाँ, एक आदेश के परिणामस्वरूप धारा 154 या धारा 155 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 या धारा 245 डी की उप-धारा (4) के तहत निपटान आयोग के किसी आदेश के तहत, वह राशि जिस पर उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत ब्याज देय था, यथास्थिति, बढ़ाई या घटाई गई है, तदनुसार ब्याज बढ़ाया या घटाया जाएगा, और -

(i) ऐसे मामले में जहाँ ब्याज बढ़ाया जाता है, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को देय राशि निर्दिष्ट करते हुए निर्धारित प्रपत्र में मांग की सूचना देगा और ऐसी मांग की सूचना को धारा 156 के तहत सूचना माना जाएगा और इस अधिनियम के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

(ii) ऐसे मामले में जहाँ ब्याज कम किया जाता है, भुगतान किया गया अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, वापस कर दिया जाएगा।

(5) इस धारा के प्रावधान 1 अप्रैल, 1989 से शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष और उसके बाद के निर्धारण वर्षों के निर्धारण के संबंध में लागू होंगे।

अग्रिम कर के स्थगन के लिए ब्याज।

234 सी (1) जहाँ किसी वित्तीय वर्ष में-(क) वह कंपनी जो धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे कर का भुगतान करने में विफल रही है या -

(i) कंपनी द्वारा 15 जून को या उससे पहले अपनी वर्तमान आय पर भुगतान किया गया अग्रिम कर, वापस की गई आय पर देय कर के पंद्रह प्रतिशत से कम है या 15 सितंबर को या उससे पहले भुगतान किए गए ऐसे अग्रिम कर की राशि, वापस की गई आय पर देय कर के पैंतालीस प्रतिशत से कम है या 15 दिसंबर को या उससे पहले भुगतान किए गए ऐसे अग्रिम कर की राशि, वापस की गई आय पर देय कर के पचहत्तर प्रतिशत से कम है, तो कंपनी प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। तीन महीने की अवधि के लिए देय कर की पंद्रह प्रतिशत या पैंतालीस प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत से कमी की राशि पर, जैसा भी मामला हो, लौटाई गई आय पर देय कर का,

(ii) कंपनी द्वारा 15 मार्च को या उससे पहले अपनी वर्तमान आय पर भुगतान किया गया अग्रिम कर, वापस की गई आय पर देय कर से कम है, तो कंपनी वापस की गई आय पर देय कर से हुई कमी की राशि पर एक और डेढ़ प्रतिशत की दर से सरल ब्याज का भुगतान लौटाई गई आय पर देय कर से कमी की राशि पर करने के लिए उत्तरदायी होगी:

स्पष्टीकरण।—इस धारा में, "लौटाई गई आय पर देय कर" का अर्थ है उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद 1 अप्रैल को शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत आय की विवरणी में घोषित कुल आय पर प्रभार्य कर, जिसमें अग्रिम कर का भुगतान या भुगतान किया जाता है, जैसा कि किसी भी आय पर अध्याय XVII के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहणीय कर की राशि से कम किया जाता है, जो ऐसी कटौती या संग्रह के अधीन है और जिसे ऐसी कुल आय की गणना करते समय ध्यान में रखा जाता है।

(2) इस धारा के प्रावधान 1 अप्रैल, 1989 से शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष और उसके बाद के निर्धारण वर्षों के निर्धारण के संबंध में लागू होंगे।

अध्याय XIX-A-मामलों का निपटान परिभाषाएँ

245 ए. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,

(बी) "मामला" से किसी वर्ष या वर्ष के संबंध में किसी व्यक्ति के निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन के लिए या ऐसे निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन के संबंध में अपील या संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही अभिप्रेत है, जो उस तारीख को आयकर प्राधिकरण के समक्ष लंबित हो सकती है जिस दिन धारा 245 सी की उप-धारा (1) के तहत कोई आवेदन किया गया हो:

बशर्ते कि जहां इस अधिनियम के तहत पुनरीक्षण के लिए ऐसी अपील या आवेदन दायर करने के लिए निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद पुनरीक्षण के लिए कोई अपील या आवेदन किया गया है और जिसे स्वीकार नहीं किया गया है, वहां ऐसी अपील या पुनरीक्षण को इस खंड के अर्थ के भीतर लंबित कार्यवाही नहीं माना जाएगा।

मामलों के निपटारे के लिए आवेदन।

245 (1) एक निर्धारिती, अपने संबंधित मामले के किसी भी स्तर पर, ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीति से आवेदन कर सकता है जो विहित की जाए, और जिसमें अपनी आय का पूर्ण और सही प्रकटीकरण हो, जिसका निर्धारण अधिकारी के समक्ष खुलासा नहीं किया गया है, वह तरीका जिसमें ऐसी आय प्राप्त की गई है, ऐसी आय पर देय आय-कर की अतिरिक्त राशि और ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं, निपटान आयोग को मामले का निपटारा करने के लिए और ऐसे किसी भी आवेदन का निपटान इसके बाद इस रीति से किया जाएगा बशर्ते:

बशर्ते कि ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(ए) निर्धारिती ने आय की विवरणी प्रस्तुत की है जो उसे इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत प्रस्तुत करने की आवश्यकता है या थी; और

(बी) आय कर की अतिरिक्त राशि आवेदन में बताई गई आय पर देय राशि एक लाख रुपये से अधिक है।

(1 ए) इस की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए धारा 245 डी की उप-धारा (2 ए) से (2 डी) तक, इस धारा की उप-धारा (1) के तहत किए गए आवेदन में प्रकट की गई आय के संबंध में देय आय-कर की अतिरिक्त राशि वह राशि होगी जिसकी गणना उप-धारा (1 बी) से (1 डी) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(1 बी) जहां आवेदन में प्रकट की गई आय केवल एक पिछले वर्ष से संबंधित है-

(i) यदि आवेदक ने उस वर्ष की कुल आय के संबंध में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है (चाहे उस वर्ष की कुल आय के संबंध में कोई निर्धारण किया गया हो या नहीं), तो खंड (iii) द्वारा कवर किए गए मामले को छोड़कर, कर की गणना आवेदन में प्रकट की गई आय पर इस तरह की जाएगी जैसे कि ऐसी आय कुल आय हो।

(ii) यदि आवेदक ने उस वर्ष की कुल आय के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की है (चाहे ऐसी विवरणी के अनुसरण में कोई निर्धारण किया गया हो या नहीं), तो कर की गणना विवरणी की गई कुल आय और आवेदन में प्रकट की गई आय के योग पर की जाएगी जैसे कि ऐसी सकुल आय कुल आय हो।

(iii) यदि आय-कर प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही धारा 147 के तहत या ऐसे पुनर्मूल्यांकन के संबंध में अपील या संशोधन के माध्यम से आवेदक के पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्यवाही की प्रकृति में है, और आवेदक ने पुनर्मूल्यांकन के लिए ऐसी कार्यवाही के दौरान

उस वर्ष की कुल आय के संबंध में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, तो कर की गणना धारा 143 या धारा 144 या धारा 147 के तहत निर्धारण के लिए पहले की कार्यवाही में निर्धारित सकल आय के कुल आय पर की जाएगी और आवेदन में प्रकट की गई आय जैसे कि ऐसी कुल राशि थी।

फॉर्म नं. 34 बी

[नियम 44 सी और 44 सीए देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 245 सी(1) के तहत मामले में निपटारे के निपटान
आयोग में,

निपटान आवेदन संख्या. 19.....19.....

1. आवेदक का पूरा नाम और पता.....
2. स्थायी खाता संख्या.....
3. स्थिति [टिप्पणी 4 देखें].....
4. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त.....
5. निर्धारण वर्ष (ओं) जिसके संबंध में निपटान के लिए आवेदन किया जाता है.....
6. कॉलम 5 में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष (ओं) के लिए आय विवरणी दाखिल करने की तिथि.....
7. निपटान के लिए जिस आवेदन पर कार्यवाही संबंधित है, वह तिथि जिससे कार्यवाही लंबित है और उससे पहले आयकर प्राधिकारी जिनके पास कार्यवाही लंबित है [टिप्पणी 6 देखें].....

8. जहाँ पुनरीक्षण के लिए कोई अपील या आवेदन है ऐसी अपील दायर करने के लिए निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद वरीयता दी गई या पुनरीक्षण के लिए आवेदन, जैसा भी मामला हो, चाहे ऐसी अपील या पुनरीक्षण स्वीकार किया गया हो।.....
9. आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत जब्ती की तारीख, यदि कोई हो.....
10. हल किए जाने वाले मुद्दों का विवरण, मामले की प्रकृति और परिस्थितियाँ और जटिलताएँ जांच में शामिल [नोट 7 देखें].....
11. आय का पूर्ण और सही प्रकटीकरण जो निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है, जिस तरीके से ऐसी आय प्राप्त की गई है और आय-कर की अतिरिक्त राशि ऐसी आय पर देय [टिप्पणियाँ 9 और 10 देखें].....

.....

हस्ताक्षर किए

(आवेदक)

सत्यापन

मैं.....बेटा/बेटी/पत्नी.....इसके द्वारा ईमानदारी से घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, जो ऊपर और अनुलग्नक में कहा गया है [बयानों और ऐसे अनुलग्नक के साथ दस्तावेजों सहित] सही और पूर्ण है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता में..... (पदनाम)..... के रूप में कर रहा हूँ और मैं यह आवेदन करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

आज.....19 स्थान..... हस्ताक्षरित

(आवेदक) का..... दिन सत्यापित किया गया

.....
हस्ताक्षर किए

(आवेदक)

धारा 245 सी के तहत आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया

245 डी. (1) धारा 245 सी के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, निपटान आयोग आयुक्त से एक रिपोर्ट मांगेगा और ऐसी रिपोर्ट में निहित सामग्री के आधार पर और मामले की प्रकृति और परिस्थितियों या उसमें शामिल जांच की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, निपटान आयोग, आदेश द्वारा, आवेदन को आगे बढ़ाने या आवेदन को अस्वीकार करने की अनुमति दे सकता है:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत एक आवेदन तब तक खारिज नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है:

बशर्ते कि आयुक्त 1 जुलाई, 1995 को या उसके बाद धारा 245 सी के तहत किए गए सभी आवेदनों के मामले में निपटान आयोग से संचार प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और यदि आयुक्त उक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो निपटान आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना आदेश दे सकता है।

(2 बी) यदि निपटान आयोग इस संबंध में निर्धारिती को ओर से किए आवेदन पर संतुष्ट हो जाती है

कि वह उस उप-धारा (2 ए) में निर्दिष्ट समय के भीतर उप-धारा (2 ए) में निर्दिष्ट आयकर की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने में अच्छे और पर्याप्त कारणों से असमर्थ है, वह उस राशि के भुगतान के लिए समय बढ़ा सकता है जो अवैतनिक बनी हुई है या किशतों में उसके

भुगतान की अनुमति दे सकता है यदि निर्धारिती उसके भुगतान के लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रदान करता है।

(2 सी) जहां उप-धारा (2 ए) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर आय-कर की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो क्या निपटान आयोग ने उस राशि के भुगतान के लिए समय बढ़ाया है जो अवैतनिक बनी हुई है या नहीं या उसने उप-धारा (2 बी) के तहत किशतों द्वारा उसके भुगतान की अनुमति दी है, निर्धारिती उप-धारा (2 ए) में निर्दिष्ट पैंतीस दिनों की अवधि की समाप्ति की तारीख से बकाया भुगतान राशि पर प्रति वर्ष पंद्रह प्रतिशत पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) उप-धारा (1) के तहत प्राप्त अभिलेखों और आयुक्त की रिपोर्ट और उप-धारा (3) के तहत प्राप्त आयुक्त की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की जांच के बाद और आवेदक और आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से या इस संबंध में विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर देने के बाद और ऐसे और साक्ष्य की जांच करने के बाद जो उसके सामने रखे जाएं या उसके द्वारा प्राप्त किए जाएं, निपटान आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आवेदन में शामिल मामलों और आवेदन में शामिल नहीं होने वाले मामले से संबंधित किसी अन्य मामले पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे। लेकिन उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत आयुक्त की रिपोर्ट में संदर्भित।

(6) उप-धारा (4) के तहत पारित प्रत्येक आदेश में निपटान की शर्तों का प्रावधान होगा, जिसमें कर, जुर्माना या ब्याज के रूप में कोई मांग, निपटान के तहत देय किसी राशि का भुगतान करने का तरीका और निपटान को प्रभावी बनाने के लिए अन्य सभी मामले शामिल हैं और यह भी प्रावधान होगा कि समझौता अमान्य होगा यदि बाद में निपटान आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि यह धोखाधड़ी या तथ्यों के गलत प्रतिनिधित्व से प्राप्त किया गया है।

(6 ए) जहां उप-धारा (4) के तहत किसी आदेश के अनुसरण में देय किसी भी कर का भुगतान निर्धारिती द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त होने के पैंतीस दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो चाहे निपटान आयोग ने ऐसे कर के भुगतान के लिए समय बढ़ाया हो या किशतों में भुगतान की अनुमति दी हो, निर्धारिती उपरोक्त पैंतीस दिनों की अवधि की समाप्ति की तारीख से बकाया राशि पर प्रति वर्ष पंद्रह प्रतिशत पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) जहां उप-धारा (6) के तहत उपबंधित कोई समझौता शून्य हो जाता है, वहां समझौते के दायरे में आने वाले मामलों के संबंध में कार्यवाहियों को उस चरण से पुनर्जीवित किया गया माना जाएगा जिस पर निपटान आयोग द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी और संबंधित आयकर प्राधिकरण, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय ऐसी कार्यवाहियों को पूरा कर सकता है जिसमें समझौता शून्य हो गया था।

निपटान आयोग की पूरी की गई कार्यवाहियों को फिर से खोलने की शक्ति।

245 ई. यदि निपटान आयोग की राय है (उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज की जाने वाली ऐसी राय के कारण) कि उसके समक्ष लंबित मामले के उचित निपटारे के लिए, मामले से संबंधित किसी भी कार्यवाही को फिर से खोलना आवश्यक या समीचीन है, लेकिन जो धारा 245 सी के तहत आवेदन किए जाने से पहले किसी भी आयकर प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के तहत पूरी की गई है, वह आवेदक की सहमति से ऐसी कार्यवाही को फिर से खोल सकती है और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकती है जो वह उचित समझे, जैसे कि वह मामला जिसके संबंध में आवेदक द्वारा उस धारा के तहत निपटान के लिए आवेदन किया गया था, ऐसी कार्यवाही भी शामिल है:

निपटान आयोग की शक्तियाँ और प्रक्रिया।

245 एफ (1) इस अध्याय के तहत निपटान आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अलावा, उसके पास वे सभी शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम के तहत आयकर प्राधिकरण में निहित हैं।

(2) जहां धारा 245 सी के तहत किए गए आवेदन को धारा 245 डी के तहत आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है, वहां निपटान आयोग को, जब तक धारा 245 डी की उप-धारा (4) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक उस धारा की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, मामले के संबंध में इस अधिनियम के तहत आयकर प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का पालन करने के लिए अनन्य अधिकारिता होगी:

(3) उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी और निपटान आयोग द्वारा इसके विपरीत किसी स्पष्ट निर्देश के अभाव में, इस धारा में निहित कुछ भी इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निपटान आयोग के समक्ष मामलों के संबंध में आवेदक को स्वमूल्यांकन के आधार पर कर का भुगतान करना होगा।

(4) संदेह को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निपटान आयोग द्वारा इसके विपरीत किसी स्पष्ट निर्देश के अभाव में, इस अध्याय की कोई भी बात इस अधिनियम के प्रावधानों के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वे निपटान आयोग के समक्ष के मामलों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित हैं।

निपटान का आदेश निर्णायक होना चाहिए।

245-1. धारा 245 डी की उप-धारा (4) के तहत पारित निपटान का प्रत्येक आदेश उसमें बताए गए मामलों के बारे में निर्णायक होगा और ऐसे आदेश के दायरे में आने वाला कोई भी मामला, जैसा कि इस अध्याय में अन्यथा प्रावधान किया गया है, इस अधिनियम के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी कार्यवाही में फिर से नहीं

खोला जाएगा। प्रतिवादी सं. 6 ने प्रतिवादी सं. 5 को प्रेषित अपने प्रतिवेदन के मुताबिक समर्पित किया है।

5. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 245 सी वित्त अधिनियम, 2007, प्रभावी 1.6.2007 द्वारा प्रतिस्थापित। इसके प्रतिस्थापन से पहले, धारा 245 सी (1) का परंतुक, जैसा कि वित्त अधिनियम, 1987, प्रभावी 1.6.1987 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और बाद में वित्त अधिनियम, 1995, प्रभावी 1.7.1995 द्वारा संशोधित किया गया था, निम्नानुसार पढ़ा गया:

“बशर्ते कि ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(ए) निर्धारिती ने आय की विवरणी प्रस्तुत की है जो उसे इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत प्रस्तुत करने की आवश्यकता है या थी; और

(बी) आयकर की अतिरिक्त राशि आवेदन में बताई गई आय पर देय राशि एक लाख रुपये से अधिक है।”

6. धारा 245 सी (1) को उसके परंतुक के साथ पढ़ा जाता है, जैसे - वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित प्रभावी 1.6.2007, निम्नानुसार है:

245 सी (1) एक निर्धारिती, अपने संबंधित मामले के किसी भी स्तर पर, ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीति से आवेदन कर सकता है जो विहित की जाए, और जिसमें अपनी आय का पूर्ण और सही प्रकटीकरण हो, जिसका निर्धारण अधिकारी के समक्ष खुलासा नहीं किया गया है, वह तरीका जिसमें ऐसी आय प्राप्त की गई है, ऐसी आय पर देय आय-कर की अतिरिक्त राशि और ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं, निपटान आयोग को मामले का निपटारा करने के लिए और ऐसे किसी भी आवेदन का निपटान इस तरह से किया जाएगा जिसमें इसके बाद प्रावधान किया गया है:

बशर्ते कि ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(i) आवेदन में प्रकट की गई आय पर देय आयकर की अतिरिक्त राशि तीन लाख रुपये से अधिक है; और

(ii) ऐसा कर और उस पर ब्याज, जिसका भुगतान इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया होता, यदि आवेदन में बताई गई आय को आवेदन की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष आय की विवरणी में घोषित किया गया होता, तो आवेदन करने की तारीख को या उससे पहले भुगतान किया गया है और ऐसे भुगतान का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

अधिनियम का विश्लेषण

7. अग्रिम कर का भुगतान करने की देयता धारा 207 के तहत उत्पन्न होती है। उक्त खंड "जैसा आप कमाते हैं वैसा भुगतान करें" के सिद्धांत पर आधारित है। इसके लिए वित्तीय वर्ष के दौरान कर का भुगतान करना आवश्यक है। यह निर्धारिती की कुल आय के संबंध में होना चाहिए जो अधिनियम के तहत कर के लिए प्रभार्य होगी। उक्त कुल आय को धारा 2 (45) में उतना नहीं समझा गया है, लेकिन इसे अध्याय XVII के प्रयोजनों के लिए "वर्तमान आय" के बराबर माना गया है। 1987 के संशोधन अधिनियम के बाद, वर्तमान आय पर अग्रिम कर का भुगतान किया जाना है जो वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद के निर्धारण वर्ष के लिए कर के लिए प्रभार्य होगा। धारा 210 निर्धारिती पर अग्रिम कर के भुगतान की जिम्मेदारी डालती है, जिसमें निर्धारिती को देय अग्रिम कर का अपना अनुमान प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। अग्रिम कर के भुगतान का प्रावधान कर के त्वरित संग्रह का तरीका है। इस प्रकार, धारा 207 धारा 208 में निर्दिष्ट आय के संबंध में अग्रिम कर का भुगतान करने के दायित्व को परिभाषित करती है। हालांकि, भुगतान किया गया अग्रिम कर देय कर के साथ समायोजित किया जा सकता है। अग्रिम कर आयकर देय होने और देय

होने से पहले ही एकत्र किया जाता है। अपनी प्रकृति से, अग्रिम कर स्रोत पर कर की कटौती या अग्रिम कर के भुगतान द्वारा करों का पूर्व-मूल्यांकन संग्रह है जिसे कुल आय पर लगाए गए आयकर के साथ समायोजित किया जाना है। धारा 4 (2) द्वारा किसी भी मूल्यांकन के अधिकृत होने से पहले ही प्राप्ति के उपरोक्त दो तरीकों को अध्याय XVII में शामिल किया गया है जो "संग्रह और वसूली" से संबंधित है। वास्तव में, धारा 190 (1) स्पष्ट करती है कि कर के भुगतान की यह विधि धारा 4 (1) के तहत कर के प्रभार मूल्यांकन आदेश को प्रभावित नहीं करेगी और न ही यह आयकर का भुगतान करने के लिए निर्धारिती के दायित्व को संशोधित करेगी। **[मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोदीनगर और अन्य बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली और एक अन्य, 780 पर 216 आई. टी. आर. 759]** एक समय पर, धारा 209 (1) (ए) (iii) (अग्रिम कर की गणना से संबंधित) ने प्रावधान किया कि कुल आय पर गणना की गई आयकर को कुल आय में शामिल किसी भी आय पर धारा 192 से 194, 194 ए और 195 के अनुसार कटौती योग्य आयकर की राशि से कम किया जाना चाहिए। धारा 215 के तहत ब्याज लगाना मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि निर्धारण वर्ष के पहले दिन आयकर देयता निर्धारिती के खाते में जमा अग्रिम कर की राशि से अधिक है तो धारा 215 के तहत कर की घाटे की राशि के 75 प्रतिशत पर ब्याज का भुगतान निर्धारण वर्ष के पहले दिन से करना होगा आदेश द्वारा कुल आय की गणना की तारीख तक का निर्धारण वर्ष। धारा 215 के तहत ब्याज उस वित्तीय वर्ष के बाद अप्रैल के पहले दिन से प्रभार्य है, जिसमें नियमित निर्धारण की तारीख तक अग्रिम कर का भुगतान किया गया था, यदि धारा 140 ए के तहत या अन्यथा कोई कर का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि, धारा 215 (2) प्रावधान करता है कि जहां भुगतान किया गया अग्रिम कर "निर्धारित कर" के 75 प्रतिशत से कम है, लेकिन निर्धारिती ने धारा 140 ए के तहत या अन्यथा नियमित निर्धारण पूरा होने की तारीख से पहले कर का भुगतान किया है, तो ब्याज "निर्धारित कर" और अगले वित्तीय वर्ष के बाद पहली अप्रैल से भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए भुगतान किए गए

अग्रिम कर के बीच की कमी पर ब्याज और धारा 140 ए के तहत भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए "निर्धारित कर" और "भुगतान किए गए कुल कर" के बीच की कमी पर ब्याज तक सीमित होगा। नियमित मूल्यांकन की तिथि धारा 140 ए पर आते हुए, प्रत्यक्ष कर कानून संशोधन अधिनियम, 1987 द्वारा धारा 140 ए (1) के संशोधन 1.4.1989 से प्रभावी के परिणामस्वरूप और 1999 के वित्त अधिनियम के अनुसार, निर्धारिती को धारा 139 के तहत या धारा 142 के तहत या धारा 148 के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणी के आधार पर देय कर की गणना करने की आवश्यकता होती है अधिनियम के तहत भुगतान की गई कर की राशि को ध्यान में रखने के बाद; धारा 234 ए के तहत या धारा 234 बी/234 सी के तहत किसी भी चूक या अग्रिम कर के भुगतान में देरी के लिए देय ब्याज की गणना करने के लिए; निर्धारिती द्वारा अपना विवरणी प्रस्तुत करने से पहले ऐसे कर का ब्याज के साथ भुगतान करना। धारा 140 ए (1) के स्पष्टीकरण में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि जहां धारा 140 ए (1) के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि कर और उस पर ब्याज के कुल राशि से कम हो जाती है, तो इस तरह से भुगतान की गई राशि को पहले देय ब्याज के लिए समायोजित किया जाता है और शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे देय कर के लिए समायोजित किया जाता है। इस प्रकार, धारा 140 ए के तहत भुगतान की गई राशि को नियमित मूल्यांकन के लिए भुगतान किया गया माना जाता है।

8. आयकर का भुगतान करने का दायित्व धारा 4 और 5 पर आधारित है जो चार्जिंग अनुभाग हैं। धारा 143, 144 और 147 देय कर की राशि निर्धारित करने के लिए मशीनरी धाराएं हैं। इस प्रकार, जहां धारा 143 (3) आय की गणना को दर्शाती है, वहीं धारा 147 बची हुई आय की गणना को दर्शाती है। जैसा कि सी. ए. अब्राहम बनाम आयकर अधिकारी कोर्टायम और एक अन्य के मामले में **आयकर अधिकारी, कोर्टायम और एक अन्य** [(1961) 41 आईटीआर 425 (एस. सी.)], में माना गया है एक दिए गए प्रावधान में

अभिव्यक्ति "मूल्यांकन" संबंधित प्रावधानों प्रश्नगत पर निर्धारित किया जाना चाहिए और इस तथ्य का कि इसका उपयोग कहीं और संकीर्ण अर्थों में किया जाता है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि इसका उपयोग परीक्षण के तहत प्रावधान में किया जाता है। इस शब्द का उपयोग दायित्व और प्रवर्तन के लिए तंत्र का पता लगाने के लिए पूरी प्रक्रिया को शामिल करने के लिए किया जा सकता है। 1.6.1999 से पहले, धारा 143 (1 ए) (ए) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि जहां किए गए किसी भी समायोजन के परिणामस्वरूप कुल आय किसी भी राशि से विवरणी में घोषित कुल आय से अधिक हो जाती है, तो ए. ओ. के लिए धारा 143 (1) के तहत देय कर की राशि को निर्दिष्ट दर पर गणना किए गए अतिरिक्त आयकर द्वारा बढ़ाने के लिए खुला था। संक्षेप में, धारा 143 (1 ए) में धारा 143 (1) के तहत निर्धारित कुल आय और विवरणी में घोषित कुल आय के बीच के अंतर की राशि पर देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर राशि का अतिरिक्त आयकर लगाने का प्रावधान है। जहां अतिरिक्त आयकर बढ़ाया गया था, वहां ए. ओ. को धारा 156 के तहत नोटिस देना था। यहां तक कि धारा 143 (1 बी) के तहत, जैसा कि 1.6.1999 से पहले था, जहां एक निर्धारिती ने सूचना की सेवा के बाद धारा 139 (5) के तहत एक संशोधित विवरणी प्रस्तुत की थी, निर्धारिती धारा 143(1)(ए) के तहत किए गए समायोजन के संबंध में अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था जिसे प्रावधान के साथ प्रठा जाए।

9. अब, अध्याय XVII "संग्रह और पुनर्प्राप्ति"। इसमें स्रोत पर कर कटौती और करों का अग्रिम भुगतान शामिल है (धारा 190 देखें)। धारा सी करों के अग्रिम भुगतान से संबंधित है। धारा 207 अग्रिम कर का भुगतान करने के दायित्व को संदर्भित करती है जबकि धारा 209 अग्रिम कर की गणना से संबंधित है। धारा 215 निर्धारिती द्वारा देय ब्याज को संदर्भित करती है। धारा 210 (1) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 208 के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह अपनी मर्जी से धारा 211 में निर्दिष्ट प्रत्येक नियत तारीखों पर, धारा 209 के तहत गणना की गई अपनी

वर्तमान आय पर अग्रिम कर का उचित प्रतिशत का भुगतान करेगा। धारा 209 (1) (ए) के तहत किसी भी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती द्वारा देय अग्रिम कर की राशि इस प्रकार है:

(ए) जहां निर्धारिती द्वारा धारा 209 (1) के तहत अग्रिम कर के भुगतान के प्रयोजनों के लिए गणना की जाती है, वह पहले अपनी वर्तमान आय का अनुमान लगाएगा और कर की गणना वित्तीय वर्ष में लागू दरों पर की जाएगी। इस प्रकार, देयता और अग्रिम कर की गणना अध्याय XVII की धारा C के तहत की जाती है। दूसरी ओर, अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज धारा 234बी के तहत आता है। अध्याय XVII की धारा एफ में धारा 234ए और 234सी । इस प्रकार, ब्याज का उद्ग्रहण देयता और अग्रिम कर की गणना के लिए आकस्मिक है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि धारा 234ए (4) बदले में धारा 245डी (4) के तहत आयोग के आदेश के बाद देय कर की राशि को बढ़ाने या कम करने और इसी तरह धारा 234बी (4) को भी संदर्भित करती है। धारा 234ख के तहत, जहां किसी भी वित्तीय वर्ष में कोई निर्धारिती जो धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसा कर का भुगतान करने में विफल रहता है या जहां धारा 210 के तहत भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है, तो निर्धारिती ऐसे वित्तीय वर्ष के अगले अप्रैल के पहले दिन से धारा 143 (1) के तहत कुल आय के निर्धारण की तारीख तक या निर्धारित कर के बराबर राशि पर नियमित निर्धारण की तारीख तक ब्याज का भुगतान करेगा, जिसे स्पष्टीकरण 1 में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ धारा 143 (1) के तहत निर्धारित कुल आय पर कर है, जिसे कटौती की गई कर की राशि से कम किया गया है। आय पर अध्याय XVII के अनुसार स्रोत पर जो कटौती के अधीन है और जिसे कुल आय की गणना में ध्यान में रखा जाता है। स्पष्टीकरण 3 द्वारा, यह स्पष्ट किया गया है कि अल्प भुगतान के चूक के लिए "निर्धारित कर" के बीच के अंतर पर ब्याज लिया जाएगा (जैसे- 3 परिभाषित) और निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर और उपरोक्त उद्देश्य के लिए धारा 143

के तहत देय "अतिरिक्त आयकर" को ध्यान में नहीं रखा जाना है। तथापि, धारा 234 बी (2) एक ऐसी स्थिति को शामिल करती है जहां धारा 143 (1) के तहत कुल आय के निर्धारण या नियमित निर्धारण के पूरा होने की तारीख से पहले, निर्धारिती द्वारा धारा 140 ए के तहत कर का भुगतान किया जाता है या अन्यथा, ब्याज की गणना धारा 234 बी (1) के तहत उस तारीख तक की जाएगी जिस दिन कर का भुगतान किया गया था और धारा 140 ए के तहत धारा 234 बी के तहत प्रभार्य ब्याज के लिए भुगतान किए गए ब्याज, यदि कोई हो, द्वारा घटाया जाएगा।

10. मामलों के निपटारे से संबंधित अध्याय XIX-A पर आते हुए, यह कहा जा सकता है कि "मामला" शब्द को धारा 245A (b) के तहत परिभाषित किया गया है। यह एक विस्तृत परिभाषा है। परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि निपटान के लिए आवेदन केवल तभी होगा जब मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई कार्यवाही लंबित हो या ऐसे मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के संबंध में अपील या संशोधन आयकर प्राधिकरण के समक्ष लंबित हो। धारा 245 सी (1) के तहत, निपटान के लिए ऐसा आवेदन आवेदक द्वारा आय के पूर्ण और सही प्रकटीकरण के बिना बनाए रखने योग्य नहीं होगा, जिस तरीके से ऐसी अघोषित आय प्राप्त की गई थी और कि आवेदक ने अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत की थी और ऐसी आय पर देय अतिरिक्त कर निर्दिष्ट राशि से अधिक है। 2007 के वित्त अधिनियम से पहले यह स्थिति थी। तथापि, धारा 245 सी (1 ए) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि प्रकट की गई आय के संबंध में देय आयकर की अतिरिक्त राशि की गणना धारा 245 सी (1 बी) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। उप-धारा (1 बी) के तहत यदि आवेदक ने अपनी कुल आय के संबंध में अपना विवरणी प्रस्तुत किया है और कोई निर्धारण नहीं किया गया है, तो कर की गणना वापस की गई कुल आय और आवेदन में प्रकट की गई आय के सकल आय पर की जाएगी जैसे कि ऐसी सकल आय कुल आय थी। धारा 245 सी (1 बी) (ii) में "नियमित मूल्यांकन" शब्द नहीं हैं। हालांकि, धारा 245 सी (1 सी) (बी) के तहत, यह

प्रावधान किया गया है कि धारा 245सी (1 बी) (ii) के तहत गणना किए गए अतिरिक्त कर को स्रोत पर काटे गए कर या अग्रिम रूप से भुगतान किए गए कर और धारा 140 ए के तहत भुगतान की गई कर की राशि के योग से कम किया जाएगा। परिणामी राशि निर्धारिती द्वारा देय अतिरिक्त कर है। इस प्रकार, धारा 245सी अपने भीतर अध्याय XVIIIB, XVIIIC और अधिनियम की धारा 140 ए के प्रावधानों को शामिल करती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 245सी (1 बी) (iii), जैसा कि यह 1.6.1987 से पहले थी, आयकर की आवश्यकता थी। निर्धारित कुल आय और आवेदन में प्रकट की गई आय के योग पर गणना की जानी चाहिए जैसे कि ऐसा योग कुल आय हो। लेकिन 1.6.1987 के बाद, वापस की गई कुल आय और आवेदन में प्रकट की गई आय पर कर की गणना की जानी चाहिए जैसे कि सकल आय कुल आय है। धारा 245 डी (2 ए) के तहत आवेदक को धारा 245 डी (1) के तहत निपटान आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने के 35 दिनों के भीतर आवेदन में प्रकट की गई आय पर देय आयकर की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना आवश्यक है, जिससे इस तरह के आवेदन को आगे बढ़ाया जा सके। धारा 245 डी (2 ए) के तहत आवेदक, धारा 245 डी (1) के तहत आदेश की प्राप्ति के 35 दिनों के भीतर आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा, प्रकट की गई आय पर देय आयकर की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा। धारा 245 डी (2 ए) और (2 सी) के अनुपालन पर धारा 245 डी (4) के तहत और प्रासंगिक अभिलेखों और रिपोर्टों की जांच करने पर, निपटान आयोग ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह आवेदन में शामिल मामलों और आयकर आयुक्त की रिपोर्ट में निर्दिष्ट "मामले" से संबंधित किसी अन्य मामले पर उचित समझे। यदि कोई धारा 245 डी (1) और 245 डी (4) के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करता है, तो दो विशिष्ट चरण पाए जाते हैं—एक आवेदन को आगे बढ़ाने (या अस्वीकार करने) की अनुमति देना और दूसरा निपटान आयोग द्वारा पारित किए जा रहे उचित आदेशों द्वारा आवेदन का निपटान करना। इन दोनों चरणों के बीच, हमारे पास ऐसे

प्रावधान हैं जिनमें आवेदक को अतिरिक्त आयकर और ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। यहां तक कि धारा 245 डी (7) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जहां धारा 245 डी (6) के तहत समझौता अमान्य हो जाता है, वहां समझौते के दायरे में आने वाले मामलों के संबंध में कार्यवाही को उस चरण से पुनर्जीवित माना जाएगा जिस पर निपटान आयोग द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी और आयकर प्राधिकरण उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर कार्यवाही को पूरा कर सकता है। इस प्रकार, धारा 245 डी (7) धारा 245 डी (1) चरण और धारा 245 डी (4) चरण के बीच के अंतर को सामने लाती है। धारा 245 डी (6) के तहत यह निर्धारित किया गया है कि धारा 245 डी (4) के तहत प्रत्येक आदेश में कर, जुर्माना या ब्याज के रूप में किसी भी मांग सहित निपटान की शर्तों का प्रावधान होगा। सी. आई. टी. बनाम के मामले में। दमानी ब्रदर्स के मामले में 259 आई. टी. आर. 475 में रिपोर्ट दी, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने अध्याय XIX-ए की योजना का विश्लेषण करते हुए कहा है कि धारा 234 बी, धारा 245 डी (2 सी) और धारा 245 डी (6 ए) विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। धारा 234 बी अग्रिम कर के भुगतान में चूक होने पर यह लागू होता है, जबकि धारा 245 डी (2 सी) के तहत ब्याज का भुगतान करने का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब धारा 245 डी (2 ए) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर आयकर की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, धारा 245 डी (6 ए) ब्याज का भुगतान करने का दायित्व केवल तभी अधिरोपित करती है जब धारा 245 डी (4) के तहत निपटान आयोग के आदेश के अनुसरण में देय कर निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जाता है। नतीजतन, अध्याय XIX-ए में धारा 234 बी, धारा 245 डी (2 सी) और धारा 245 डी (6 ए) विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। इस हद तक, हम दमानी ब्रदर्स मामले (ऊपर) में व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं। वर्णनात्मक रूप से, यह कहा जा सकता है कि कानून में मूल्यांकन निपटान के माध्यम से मूल्यांकन से अलग है। यदि कोई धारा 245 डी (6) को धारा 245 आई के साथ पढ़ता है, तो यह स्पष्ट

हो जाता है कि धारा 245 डी (4) के तहत पारित निपटान का प्रत्येक आदेश उसमें निहित मामलों के बारे में अंतिम और निर्णायक होगा और धोखाधड़ी और गलत निरूपण के मामले को छोड़कर इसे फिर से नहीं खोला जाएगा। धारा 245 एफ (1) के तहत, अध्याय XIX-ए के तहत निपटान आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अलावा, इसके पास वे सभी शक्तियां भी होंगी जो अधिनियम के तहत आयकर प्राधिकरण में निहित हैं। इसमें हालाँकि, इस संबंध में, हमें अध्याय XIV के तहत "मूल्यांकन की प्रक्रिया" और अध्याय XIX-ए के तहत "निपटान की प्रक्रिया" के बीच के अंतर को ध्यान में रखने की आवश्यकता है (धारा 245 डी देखें)। धारा 245 एफ (4) के तहत, यह स्पष्ट किया जाता है कि अध्याय XIX-ए में कुछ भी अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें आवेदक को निपटान आयोग के समक्ष मामलों के संबंध में स्व-मूल्यांकन के आधार पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अधिनियम के कई प्रावधान जैसे धारा 140 ए; धारा 245 सी (1) के परंतुक (ए) में दर्शाए गए अनुसार आवेदक द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करना; धारा 245 सी (1) के परंतुक (बी) द्वारा दर्शाए गए अनुसार अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने के लिए दायित्व और गणना को नियंत्रित करने वाले अधिनियम के प्रावधान; धारा 245 सी (1 बी) (iii) द्वारा दर्शाए गए अनुसार धारा 143, 144 या 147 के संदर्भ में कुल आय का एकत्रीकरण धारा 145 सी (1 बी) (iii) में प्रकट की गई कुल आय और आय के रूप में कुल आय का एकत्रीकरण। धारा 245 सी (1 बी) (ii) में दर्शाए गए अनुसार निपटान के लिए आवेदन; धारा 245 सी (1 सी) में कटौती; निपटान आयोग के आदेशों के अनुसार धारा 215 (3) के तहत ब्याज में वृद्धि और धारा 234 ए (4) और 234 बी (4) के तहत ब्याज का उद्ग्रहण सभी अध्याय XIX-ए में निम्नलिखित अधिनियम के विभिन्न प्रावधान लाते हैं - इस प्रकार, जब हम धारा 245 सी और 245 डी के प्रावधानों को पढ़ते हैं तो अधिनियम के उपरोक्त विभिन्न प्रावधानों और आत्म-मूल्यांकन, मूल्यांकन, नियमित मूल्यांकन और कुल

आय की गणना की अवधारणाओं को ध्यान में रखना होगा, जिन्हें अध्याय XIX-ए में शामिल किया गया है।

(I) क्या धारा 234 ए, 234 बी और 234 सी अध्याय XIX-ए की कार्यवाहियों पर लागू होती हैं?

11. हमारे विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि यद्यपि अध्याय XIX-A एक स्व-निहित संहिता है, तथापि अघोषित आय की गणना के मामले में निपटान आयोग द्वारा धारा 245 सी और 245 डी के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; ब्याज के साथ ऐसी आय पर देय अतिरिक्त आयकर की गणना के मामले में; आय की वापसी में वापस की गई आय की राशि का संकेत देने वाला निपटान आवेदन दाखिल करना और कुल आय के रूप में एकत्रित की जाने वाली अघोषित आय पर देय अतिरिक्त आयकर से पता चलता है कि अध्याय XIX-A आय के एकत्रीकरण को इंगित करता है ताकि कुल आय का गठन हो सके जो इंगित करता है कि अध्याय XI के तहत विशेष प्रक्रिया XIX (19-ए) में कुल आय की गणना करने का अंतर्निहित तंत्र है जो मूल्यांकन (कुल आय की गणना) के अलावा और कुछ नहीं है। विस्तार से, खंड 245 सी (1 बी) के तहत यदि आवेदक ने अपनी कुल आय के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की है, तो कर की गणना वापस की गई कुल आय और निपटान आवेदन में प्रकट की गई आय के कुल के योग पर की जाएगी जैसे कि ऐसी कुल आय कुल आय हो। अधिनियम के तहत, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कुल आय पर कर देय है। इस प्रकार, धारा 143 (3) प्रावधान को धारा 245 सी में शामिल करने की मांग की गई है। जब संसद इन शब्दों का उपयोग करती है "जैसे कि इस तरह का योग कुल आय का गठन करेगा", तो यह अनुमान लगाता है कि विशेष प्रक्रिया के तहत वापस की गई आय और प्रकट की गई आय के एकत्रीकरण के परिणामस्वरूप कुल आय की गणना होगी जो अघोषित आय पर कर लगाने का आधार है जो "मूल्यांकन" के अलावा और कुछ नहीं है। इसी तरह, धारा

245 सी (1 सी) धारा 245 सी (1 बी) के संदर्भ में संगणित कुल आय से कटौती का प्रावधान करती है। इस प्रकार, अध्याय XIX-ए में धारा 245 सी और 245 डी के तहत विशेष प्रक्रिया से पता चलता है कि कुल आय की एक विशेष प्रकार की गणना उक्त प्रावधानों में की गई है जो धारा 245 डी (1) चरण में होने वाले मूल्यांकन के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि, उस गणना में, यह पाया जाता है कि नियमित मूल्यांकन, स्व-मूल्यांकन और शुल्क और ब्याज की गणना से संबंधित प्रावधान अग्रिम कर आदि के भुगतान में चूक होती है। [धारा 215 सी (1 बी), 245 सी (1 सी), 245 डी (6), 245 एफ (3) को धारा 215 (3), 234 ए (4) और 234 बी (4) के अलावा देखें।

(II) ब्याज लगाने के लिए अंतिम बिंदु- क्या ब्याज अध्याय XIX-ए(19-ए) के तहत धारा 245 डी (1) के तहत आदेश की तारीख तक या धारा 245 डी (4) के तहत आदेश की तारीख तक देय है?

12. हमारे विचार में उपरोक्त प्रश्न का उत्तर धारा 245 सी (1), 245 सी (1 बी) और 245 सी (1 सी), 245 डी (4) और 245 एफ (3) के प्रावधानों में निहित है जो वापसी आय, स्व-मूल्यांकन, वापसी आय का एकत्रीकरण और कुल आय के रूप में प्रकट आय की अवधारणाओं को सामने लाते हैं; धारा 245 डी (4) के साथ पठित धारा 215 (3) के तहत ब्याज की वसूली; धारा 245 डी के साथ पठित धारा 234 ए (4) और 234 बी (4) के तहत ब्याज की वृद्धि साथ ही धारा 140 ए (1 ए) और (1 बी) को धारा 234 ए और 234 बी के साथ पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए, धारा 140 ए आत्म-मूल्यांकन से संबंधित है जो नियमित मूल्यांकन से अलग है। धारा 140 ए (1) के तहत जहां कर निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किसी भी विवरणी के आधार पर देय है [धारा 245 सी (1) के लिए परंतुक (ए) देखें], भुगतान किए गए कर को ध्यान में रखने के बाद, निर्धारिती देय ब्याज के साथ ऐसे कर का भुगतान करने के लिए धारा बी 234 के तहत विवरणी प्रस्तुत करने से पहले अग्रिम कर के

भुगतान में चूक के लिए उत्तरदायी होगा इस स्थिति को धारा 140 ए (1 ए) और (1 बी) द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ धारा 234 ए के तहत अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए देय ब्याज की गणना, भुगतान किए गए अग्रिम कर को घटाकर विवरणी में घोषित कुल आय पर कर की राशि पर की जाएगी। इसी तरह, धारा 140 ए की उप-धारा (1 बी) के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए धारा 234 बी के तहत देय ब्याज की गणना निर्धारित कर के बराबर राशि पर की जाएगी [वही शब्द धारा 234 बी (1) में उपयोग किए गए हैं] या उस राशि पर जिसके द्वारा अग्रिम कर निर्धारित कर से कम हो जाता है। हालाँकि, धारा 140 ए के प्रयोजनों के लिए "निर्धारित कर" क्या है, यह स्पष्टीकरण द्वारा समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि निर्धारित कर अध्याय XVII (जिसमें अधिनियम की धारा 207, 209 और 215 शामिल हैं) के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कटौती की गई या स्रोत पर एकत्र की गई कर की राशि को घटाकर विवरणी में घोषित कुल आय पर कर होगा। अब, धारा 245 सी (1) निर्धारिती द्वारा अपनी अघोषित आय का स्वैच्छिक प्रकटीकरण है। धारा 245 सी (1) के तहत, निर्धारिती को अपने निपटान आवेदन में इस तरह के अघोषित आय पर उसके द्वारा देय कर की अतिरिक्त राशि का उल्लेख करना होता है। परंतुक (ए) के तहत, निपटान के लिए आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं कर लेता है जिसे उसे अपनी आय की सीमा तक अधिनियम के तहत दाखिल करने की आवश्यकता थी। परंतुक (बी) के तहत, निर्धारिती को देय कर की अतिरिक्त राशि घोषित करनी होती है। इस प्रकार, धारा 245 सी (1) के दो प्रावधानों से पता चलता है कि अध्याय XIX-ए, जो निपटान द्वारा मूल्यांकन के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है, कर के पूर्व-मूल्यांकन संग्रह पर विचार करता है। निपटान आवेदन दाखिल करने के साथ और धारा 245 डी (1) के तहत इस तरह के आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दिए जाने के बाद, धारा 143 (1) के तहत सूचना, धारा 143 (3)/144 के तहत

नियमित मूल्यांकन और धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन धारा 245 सी (1 ए) और (1 बी) के तहत अपना अस्तित्व खो देते हैं क्योंकि यह केवल विवरणी के समक्ष आय की वापसी में प्रकट की गई आय है जो विवरणी में प्रकट नहीं की गई आय की राशि के निपटान के लिए निपटान आयोग द्वारा विचार के लिए बची रहती है। धारा 245 सी (1 बी) (ii) के तहत, यदि आवेदक ने कुल आय के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की है, चाहे विवरणी के अनुसरण में निर्धारण किया गया हो या नहीं, तो प्रकट की गई कुल आय के संबंध में देय आयकर की अतिरिक्त राशि कुल आय के योग पर होगी। वापस की गई कुल आय और निपटान के लिए उसके आवेदन में प्रकट की गई आय, जैसे कि ऐसी कुल आय उसकी कुल आय थी। यह कर का पूर्व-मूल्यांकन संग्रह है। इस तरह का पूर्व-निर्धारण आवेदक द्वारा स्वयं वर्तमान आय और उस पर कर के अनुमान पर आधारित होता है। अब, जब निपटान आयोग निपटान के लिए आवेदन के माध्यम से स्वैच्छिक प्रकटीकरण को स्वीकार करता है, तो धारा 234 बी (2) हस्तक्षेप करती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि निर्धारिती अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह अघोषित आय की सीमा तक भुगतान में चूक करता है लेकिन वह अतिरिक्त आयकर का भुगतान करने का प्रस्ताव देता है तो ब्याज की गणना धारा 207, 208 और 234 बी (2) के अनुसार की जानी चाहिए। यह वह ब्याज नहीं है जिसका भुगतान निर्धारिती को धारा 245 डी (4) के तहत मूल्यांकन के बाद करना पड़ता है। धारा 245 सी (1 बी) और (1 सी) के तहत अघोषित आय पर देय आयकर की अतिरिक्त राशि धारा 245 सी (1 बी) के तहत गणना की गई कुल आय पर होगी। धारा 245 सी (1 बी) और (1 सी) के तहत कुल आय की गणना पर, ब्याज इस तरह की गणना का अनुसरण करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्याज कुल आय की गणना का अनुसरण करता है। एक बार जब ऐसी गणना धारा 245 सी (1 बी) के तहत की जाती है तो धारा 234 बी (2) लागू होती है। उक्त उप-धारा उस स्थिति से संबंधित है जहां धारा 143 (1) या 143 (3) के तहत कुल आय के निर्धारण से पहले धारा 140 ए के तहत कर का भुगतान किया जाता है या अन्यथा

ब्याज की गणना धारा 234 बी (1) के अनुसार उस तारीख तक की जाएगी जिस दिन कर का भुगतान किया जाता है। उस अर्थ में धारा 245 सी (1) के तहत एक आवेदन एक विवरणी है। धारा 245 सी (1) कुल आय की गणना से संबंधित है। अधिनियम को देखने का एक और तरीका है। अध्याय XIX-ए निपटान की प्रक्रिया को संदर्भित करता है (धारा 245D (1) देखें)। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा 245 डी (1) में पूर्व-मूल्यांकन संग्रह के माध्यम से कर की शीघ्र वसूली का प्रावधान है। अग्रिम कर के भुगतान में चूक पर ब्याज धारा 234 ए, 234 बी, 234 सी के तहत आता है, जो अध्याय XVII में आता है जो कर के संग्रह और वसूली से संबंधित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्याज धारा 245 सी (1 बी) और (1 सी) के तहत आयकर के अतिरिक्त भुगतान की गणना के बाद आता है। इस प्रकार धारा 245 डी (1) के चरण में धारा 234 ए, 234 बी और 234 सी को अध्याय XIX-ए में शामिल किया जाता है। जैसा कि कहा गया है, जब तक निपटान आयोग धारा 245 डी (1) के तहत मामले को स्वीकार करने का फैसला नहीं करता है, तब तक सामान्य प्रावधानों के तहत कार्यवाही खुली रहती है। लेकिन, एक बार जब आयोग संतुष्ट होने के बाद मामले को स्वीकार करता है कि प्रकटीकरण पूर्ण और सत्य है फिर निपटान आयोग के साथ कार्यवाही शुरू होती है। इस बीच, आवेदक को ब्याज के साथ कर की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है जिसके बिना निपटान के लिए आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा। इस प्रकार, धारा 234 बी के तहत ब्याज धारा 245 डी (1) के चरण तक देय होगा। हमारा विचार 2007 के वित्त अधिनियम 1.6.2007 से प्रभावी, द्वारा किए गए संशोधन द्वारा समर्थित है जिसमें निपटान के लिए आवेदन की रखरखाव के लिए ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है।

13. सवाल यह है कि ऐसे मामलों में क्या होता है जहां निर्धारित कर का 90 प्रतिशत भुगतान किया जाता है, लेकिन धारा 245 डी (4) के तहत आयोग के आदेश के आधार पर भुगतान किया गया अग्रिम कर धारा 234 बी (1) के स्पष्टीकरण में परिभाषित किए गए निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम होता है?

14. जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा 245 सी (1 बी) (ii) और धारा 245 सी (1 सी) (बी) के साथ पठित धारा 245 सी (1) के तहत, देय आयकर की अतिरिक्त राशि की गणना कुल वापसी आय और निपटान आवेदन में प्रकट की गई आय के कुल पर की जानी है जैसे कि ऐसा सकल कुल आय है। इस प्रकार, उक्त धाराओं की योजना कुल आय की गणना पर आधारित है और उस अर्थ में हमने कहा है कि निपटान के लिए ऐसा आवेदन आय की विवरणी के समान है। उक्त प्रावधान "कुल आय" से संबंधित है। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा 234 ए, बी और सी निपटान आयोग द्वारा पारित धारा 245 डी (1) आदेश के चरण तक लागू होती हैं। हालाँकि, संसद ने प्रावधानों और निपटान के लिए आवेदन की तारीख से आगे ब्याज का भुगतान करने की देयता को नहीं बढ़ाया है। 2007 के वित्त अधिनियम के बाद भी यह स्थिति है। एक बार यह स्थिति लेने के बाद, धारा 140 ए को आकर्षित किया जाता है। जब किसी निर्धारिती ने धारा 140 ए के तहत स्व-मूल्यांकन में धारा 234 ए, बी और सी के तहत ब्याज का भुगतान किया है, जो धारा 245 सी (1) की योजना के समान है, और एक बार जब निपटान आयोग निपटान के लिए आवेदन स्वीकार कर लेता है, तो यह पाया जाता है कि धारा 140 ए (1 बी) के तहत भी धारा 234 बी के तहत देय ब्याज की गणना निर्धारण कर के बराबर राशि पर की जानी चाहिए, जैसा कि विवरण में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ रिटर्न में घोषित कुल आय पर कर है। धारा 140 ए की उप-धारा (1 बी) के तहत धारा 234 बी के तहत देय ब्याज की गणना उस राशि पर भी की जा सकती है जिसके द्वारा भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारण कर से कम हो जाता है जैसा कि स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, अध्याय XIX-ए के तहत या धारा 140 ए (स्व-मूल्यांकन से संबंधित) इसके तहत भी कोई प्रावधान नहीं है आयोग द्वारा धारा 245 डी (1) के तहत स्वीकार किए जाने के बाद निपटान के लिए आवेदन की तारीख से आगे ब्याज लेने के लिए धारा 140 ए। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिनियम के तहत, कानून में मूल्यांकन [धारा 143 (1) के तहत नियमित

मूल्यांकन या मूल्यांकन] और अध्याय XIX-A के तहत निपटान द्वारा मूल्यांकन के बीच अंतर है। धारा 245 डी (4) के तहत आदेश नियमित मूल्यांकन का आदेश नहीं है। यह न तो धारा 143 (1) या 143 (3) या 144 के तहत आदेश है। धारा 139 से 158 के तहत, मूल्यांकन की प्रक्रिया में धारा 139 के तहत या धारा 142 के तहत विवरणी दाखिल करना शामिल है। धारा 142 और 143 के तहत ए. ओ. द्वारा जांच और धारा 143 (3) के तहत या धारा 144 के तहत ए. ओ. द्वारा मूल्यांकन का आदेश देना और मूल्यांकन आदेश के आधार पर धारा 156 के तहत मांग का नोटिस जारी करना। मूल्यांकन का क्रम बनाना मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अध्याय XIX-ए के तहत कार्यवाही के मामले में ऐसे किसी भी कदम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अध्याय में केवल निपटान/मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा अघोषित आय के संबंध में निर्धारित करयोग्यता पर विचार किया गया है। इस प्रकार, धाराओं के तहत आदेशों की प्रकृति 143(1), 143(3) और 144 धारा 245 डी (4) के तहत निपटान आयोग के आदेशों से अलग है। यहां तक कि **आयकर आयुक्त बनाम अंजुम एम. एच. घासवाला और अन्य [252 आई. टी. आर. 1]** में इस न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि धारा 245 डी (4) के तहत निपटान आयोग का आदेश धारा 143 (3) के तहत या धारा 144 के तहत मूल्यांकन का आदेश है। घासवाला के मामले में इस न्यायालय द्वारा तय किया गया एकमात्र प्रश्न यह है कि धारा 234 बी के तहत ब्याज अनिवार्य प्रकृति का है और इसलिए निपटान आयोग को इसे माफ करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ए. ओ. का अधिकार क्षेत्र केवल इसलिए बाधित नहीं है क्योंकि आवेदक ने निपटान आवेदन दायर किया है। अधिनियम उस अवधि के दौरान कार्यवाही पर रोक लगाने पर विचार नहीं करता है, यानी जब निपटान आयोग यह तय कर रहा है कि निपटान आवेदन को आगे बढ़ाना है या अस्वीकार करना है। निपटान आयोग की कार्यवाही की अधिकारिता धारा 245 डी (1) के तहत आदेश पारित होने के बाद ही शुरू होती है। कि, निपटान के लिए आवेदन करने

के बाद आवेदक को इसे वापस लेने की अनुमति नहीं है [धारा 245 सी (3) देखें]। एक बार मामला स्वीकार हो जाने के बाद, निपटान आयोग के पास आय कर प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने की विशेष अधिकार होंगे। धारा 245 डी (4) के तहत निपटान आयोग का आदेश दो योग्यताओं के अधीन धारा 245 आई के तहत अंतिम और निर्णायक होगा, जिसके तहत इसे वापस लिया जा सकता है। धोखाधड़ी और गलत निरूपण, लेकिन यहां भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 245 डी (7) के तहत जहां धोखाधड़ी और गलत निरूपण के कारण समझौता अमान्य हो जाता है, वहां समझौते के दायरे में आने वाले मामलों के संबंध में कार्यवाही को उस चरण से पुनर्जीवित किया गया माना जाएगा जिस पर निपटान आयोग द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। यह आगे हमारे विचार का समर्थन करता है कि अध्याय XIX-ए के तहत दो अलग-अलग चरण हैं और विधानमंडल ने धारा 245 डी (1) चरण और धारा 245D (4) चरण के तहत आदेश के बीच ब्याज लगाने पर विचार नहीं किया है। इस प्रकार, धारा 234 बी के तहत ब्याज धारा 245 डी (1), यानी मामले को स्वीकार करने के तहत निपटान आयोग के आदेश तक प्रभावी होगा। अंत में, धारा 245 (6 ए) में "ब्याज" अभिव्यक्ति ब्याज का भुगतान करने के दायित्व को केवल तभी तेज करती है जब धारा 245 डी (4) के तहत किसी आदेश के अनुसरण में देय कर का निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है और जो धारा 234 बी या धारा 245 डी (2 सी) के तहत ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से अलग है। [दयानी ब्रदर्स] (उपर) पृष्ठ 485 देखें

III. क्या निपटान आयोग अधिनियम की धारा 154 का सहारा लेकर अपनी समाप्त कार्यवाही को फिर से खोल सकता है ताकि धारा 234 बी के तहत ब्याज लगाया जा सके, यदि यह मूल कार्यवाही में नहीं किया गया था?

15. जैसा कि कहा गया है, निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही के समान है। यह धारा 143 (1) के तहत या धारा 143 (3) के तहत या अधिनियम की धारा

144 के तहत नियमित मूल्यांकन या मूल्यांकन के माध्यम से नहीं बल्कि निपटान द्वारा मूल्यांकन पर विचार करता है। इस मायने में, यह अपने आप में एक कोड है। यह विवरणी दाखिल करने से नहीं बल्कि निपटान के लिए आवेदन दाखिल करने से शुरू होता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधिनियम के तहत, मूल्यांकन की प्रक्रिया अध्याय XIV (जिसमें धारा 154 आती है) में आती है जो अध्याय XIX-A में निपटान की प्रक्रिया से अलग है जिसमें धारा 245 सी और 245 डी आती हैं। धारा 234 बी के तहत अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान अध्याय XVII [धारा एफ] में आता है जो कर के संग्रह और वसूली से संबंधित है जो जैसा कि ऊपर कहा गया है धारा 207 (जो अध्याय XVII में भी है) के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के दायित्व और कुल आय की गणना के तरीके से आकस्मिक है। अघोषित आय पर देय अतिरिक्त आयकर पर धारा 245 सी (1) के प्रावधानों के साथ पठित धारा 245 सी (1 बी) और 245 सी (1 सी) के तहत अध्याय XIX-ए के तहत इंगित किया गया है। इसके अलावा, यदि कोई धारा 245 सी (1 बी) और 245 सी (1 सी) के प्रावधानों की जांच करता है, तो पता चलता है कि देय कर की अतिरिक्त राशि की गणना करते समय विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है यदि आवेदक ने अपना विवरणी दाखिल नहीं किया है, यदि उसने दाखिल किया है, लेकिन निर्धारण के आदेश पारित नहीं किए गए हैं या धारा 147 (फिर से अध्याय XIV में) के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्यवाही लंबित है या ऐसे पुनर्मूल्यांकन के संबंध में अपील या संशोधन के माध्यम से और आवेदक ने अपनी कुल आय का विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, जिस मामले में कर की गणना धारा 143 के तहत या धारा 144 के तहत या धारा 147 के तहत मूल्यांकन के लिए पिछली कार्यवाही में निर्धारित कुल आय के कुल पर की जानी है [धारा 245 सी(1 बी देखेंगे)] ध्यान देने योग्य बात यह है कि निर्धारिती द्वारा देय अतिरिक्त आयकर की गणना में धारा 154 का कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत, धारा 245 आई के तहत निपटाना आयोग के आदेश को धोखाधड़ी और के दो मामलों और गलत निरूपण को छोड़कर निपटान के लिए आवेदन में

उल्लिखित मामलों पर अंतिम और निर्णायक बनाया जाता है जिस मामले में मामले को समीक्षा या वापस बुलाने के माध्यम से फिर से खोला जा सकता है। आई. टी. ए. टी. की तरह, निपटान आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। धारा 254 (2) के तहत आई. टी. ए. टी. को सुधार करने की शक्ति दी गई है लेकिन निपटान आयोग को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। इस प्रकार, हमारा मानना है कि निपटान आयोग अधिनियम की धारा 154 को लागू करके अपनी समाप्त कार्यवाही को फिर से नहीं खोल सकता है। अंत में, धारा 154 के तहत आदेश की समीक्षा/वापस बुलाने और सुधार के बीच के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। अध्याय XIX-ए की अनुसूची धारा 154 के आह्वान पर विचार नहीं करती है अन्यथा निपटान द्वारा मूल्यांकन की कोई अंतिमता नहीं होगी जो अध्याय XIV के तहत मूल्यांकन से अलग है जहां अपील, संशोधन आदि है। दायित्व का निर्धारण और दायित्व का निपटान नहीं अध्याय XIX-ए का उद्देश्य है। अन्यथा भी, मामलों के इस समूह के तथ्यों पर धारा 154 का आह्वान उचित नहीं है। मामलों के इस समूह में, जब निपटान आयोग ने धारा 234 ए और 234 बी के तहत प्रभार्य ब्याज को माफ या कम किया तो जो स्थिति बनी रही, वह यह थी कि इस बात पर बहस चल रही थी कि क्या निपटान आयोग के पास ब्याज को कम करने या माफ करने की शक्ति है। यह घासवाला के मामले के बाद यह कि कानून स्थापित हुआ नहीं कि ब्याज की परिपक्वता और प्रकृति समसामयिक और अनिवार्य थी और आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था। लेकिन घासवाला में भी, यह सवाल तय नहीं किया गया था कि क्या धारा 234 बी के तहत ऐसा ब्याज धारा 245 डी (1) के तहत आदेश तक या धारा 234 डी (4) के तहत आदेश की तारीख तक चलना चाहिए। वास्तव में, 14.12.2004 और 20.1.2005 दिनांकित आदेशों के माध्यम से इस न्यायालय की संविधान पीठ को निर्देश के आदेश का यही कारण था। इस संदर्भ का एक और कारण है। इस मामले में सी. आई. टी. बनाम हिंदुस्तान बल्क कैरियर [(2003) 259 आई. टी. आर. 449], इस न्यायालय की एक 3- न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से अभिनिर्धारित किया कि जहां, धारा

245 डी (4) के तहत निपटान आयोग के आदेश पर, धारा 208 के तहत अग्रिम कर के भुगतान में कमी उत्पन्न होती है, तो उस अवधि का अंतिम बिंदु या समाप्ति जिस के लिए घाटे पर धारा 234 बी के तहत ब्याज का भुगतान किया जाना है, वह तारीख है जिस पर निपटान आयोग धारा 245 डी (4) के तहत आदेश पारित करता है। यह निर्णय घसवाला (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले के बाद 17.12.2002 को दिया गया था। उसी दिन, दमानी ब्रदर्स (उपरोक्त) के मामले में उसी पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि इसके तहत ब्याज लिया जाता है धारा 234 बी विवरणी में प्रकट की गई आय और निपटान आयोग के समक्ष प्रकट की गई आय पर देय हो जाती है कि ऐसा ब्याज तब तक प्रभार्य है जब तक कि आयोग धारा 245 डी (1) के संदर्भ में कार्य नहीं करता है और जब तक कि निपटान आयोग निपटान के लिए आवेदन को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, तब तक धारा 234 बी के तहत ब्याज का कोई और शुल्क नहीं होगा। इस प्रकार, समाप्ति के प्रश्न पर भी बहुत विवाद था और परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि धारा 154 (अध्याय XIX-A की कार्यवाहियों पर लागू नहीं होने वाली) का आह्वान उचित नहीं हो सकता है।

निष्कर्ष -

16. (1) अधिनियम के अध्याय XIX-ए के तहत निपटान आयोग की कार्यवाही पर धारा 234 ए 234 बी और 234 सी ऊपर बताए गए हद तक लागू होती हैं।

(2) निष्कर्ष (1) के परिणामस्वरूप, धारा 234 बी के तहत ब्याज लगाने का अंतिम बिंदु धारा 245 डी (1) के तहत आदेश की तारीख तक होगा और धारा 245 डी (4) के तहत निपटान के आदेश की तारीख तक नहीं होगा।

(3) निपटान आयोग अधिनियम की धारा 154 का आह्वान करके अपनी समाप्त हो चुकी कार्यवाही को पुनः नहीं खोल सकता है, ताकि धारा 23 बी के तहत ब्याज लगाया जा सके, विशेष रूप से धारा 245 आई के मदेनजर ।

17. तदनुसार, 14.12.2004 और 20.1.2005 दिनांकित आदेशों के माध्यम से संविधान पीठ के संदर्भ का विधिवत उत्तर दिया जाता है और तदनुसार मामलों का निपटारा किया जाता है।

आर.पी

संदर्भ का जवाब दिया गया और अपील का निपटारा किया गया